

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 जुलाई 2011—आषाढ 24, शक 1933

## विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 जून 2011

क्र. ई-5-808-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री राजेन्द्र शर्मा, आयएस., कलेक्टर, जिला रतलाम को दिनांक 24 से 29 जून 2011 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री राजेन्द्र शर्मा की अवकाश की अवधि में श्री अमरसिंह बघेल, अपर कलेक्टर, रतलाम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-

साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला रतलाम का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला रतलाम के पद पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री राजेन्द्र शर्मा द्वारा कलेक्टर, जिला रतलाम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अमर सिंह बघेल, कलेक्टर, जिला रतलाम के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाश काल में श्री राजेन्द्र शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेन्द्र शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 25 जून 2011

क्र. ई-5-370-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री इन्द्रनील शंकर दाणी, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग को दिनांक 27 से 29 जून 2011 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 26 जून 2011 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री इन्द्रनील शंकर दाणी की अवकाश अवधि में सुदेश कुमार, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन सार्वजनिक उपक्रम तथा आयुष विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, चिकित्सा शिक्षा विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री इन्द्रनील शंकर दाणी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री इन्द्रनील शंकर दाणी द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सुदेश कुमार, चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री इन्द्रनील शंकर दाणी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री इन्द्रनील शंकर दाणी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-290-आयएस-लीव-एक-5.—(1) श्री एम. के. राय, आयएस., अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश, भोपाल, को दिनांक 27 से 30 जून 2011 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 26 जून 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. राय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री एम. के. राय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. के. राय, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-1-194-2011-5-एक (ए).—श्री दीपक खाण्डेकर, भाप्रसे (1985), प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग तथा पर्यटन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

क्र. ई-1-194-2011-5-एक.—श्री अनुराग जैन, भाप्रसे (1989), सचिव, मुख्यमंत्री तथा सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भोपाल की सेवाएं भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाओं का विभाग के पद पर नियुक्ति के लिए सौंपी जाती है.

भोपाल, दिनांक 27 जून 2011

क्र. ई-1-206-2011-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गये पद पर आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1.	श्री जॉन किंगसली ए. आर. (2004), कलेक्टर, शिवपुरी कलेक्टर, हरदा.	
2.	श्री सुदाम पंढरीनाथ खाडे (2006), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर (विकास खरगोन).	कलेक्टर, हरदा

(2) उक्त आदेश श्री आर. के. पाठक, भाप्रसे (1996), कलेक्टर, शिवपुरी के अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर दिनांक 30 जून 2011 अपराह्न से सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप दिनांक 1 जुलाई 2011 से प्रभावशील होगा.

क्र. ई-5-522-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, आयएएस., कमिश्नर, भोपाल/नर्मदापुरम संभाग को दिनांक 30 जून से 12 जुलाई 2011 तक, तेरह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, भोपाल/नर्मदापुरम संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 28 जून 2011

क्र. ई-1-308-2011-5-एक.—श्री नंद कुमारम, भाप्रसे (2008), सहायक कलेक्टर, जबलपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई, जिला सागर पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई-1-224-2011-5-एक.—डॉ. जे.टी. एक्का, भाप्रसे (1986), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भंडार गृह निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम का प्रभार सौंपा जाता है.

(2) उपरोक्तानुसार डॉ. जे. टी. एक्का द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम का प्रभार ग्रहण करने पर श्री अजीत केसरी, भाप्रसे (1990), आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(3) श्रीमती सूरज डामोर, भाप्रसे (1994), आयुक्त-सह-संचालक (फील्ड), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण इंदौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक, सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर का प्रभार सौंपा जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.**

भोपाल, दिनांक 28 जून 2011

क्र. ई-5-40-आयएएस.-लीव-5-एक.—(1) श्री अवनि वैश्य, आयएएस., मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26 मई 2011 द्वारा दिनांक 29 जून से 8 जुलाई 2011 तक 10 दिवस एवं दिनांक 9 एवं 10 जुलाई 2011 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ते हुए एक्स-इंडिया अवकाश स्वीकृत किया गया है.

(2) श्री अवनि वैश्य की अवकाश की अवधि में श्री ओ. पी. रावत, आयएएस., उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**अलका उपाध्याय, सचिव "कार्मिक".**

भोपाल, दिनांक 29 जून 2011

क्र. ई-5-522-आयएएस.-लीव-5-एक.—(1) श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, आयएएस., कमिश्नर, भोपाल/नर्मदापुरम संभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27 जून 2011 द्वारा दिनांक 30 जून से 12 जुलाई 2011 तक, तेरह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है. श्री श्रीवास्तव की उक्त अवकाश अवधि में कमिश्नर, भोपाल संभाग का प्रभार श्री निकुंज श्रीवास्तव, कलेक्टर भोपाल को तथा कमिश्नर, नर्मदापुरम संभाग का प्रभार श्री निशांत वरवड़े, कलेक्टर, होशंगाबाद को सौंपा जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव "कार्मिक".**

भोपाल, दिनांक 25 जून 2011

क्र. ई-1-219-2011-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

क्रमांक	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री डी. के. सामन्तरे (1982), पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग.	-
2	श्री एस. आर. मोहन्ती (1982), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग.	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय.	सचिव मध्यप्रदेश शासन
3	श्री पंकज अग्रवाल (1992), अध्यक्ष-सह-प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर.	आयुक्त, कोष एवं लेखा तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.	-
4	श्री के. सी. गुप्ता (1992), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम.	कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा	-
5	श्री मनोष रस्तोगी (1994), आयुक्त, कोष एवं लेखा तथा पदेन सचिव, वित्त विभाग.	अध्यक्ष-सह प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर.	संभागीय कमिश्नर

(2) श्री अजीत केसरी, भाप्रसे (1990), आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(3) उपरोक्तानुसार श्री के. सी. गुप्ता, भाप्रसे (1992), द्वारा कमिश्नर, रीवा संभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रदीप खरे, भाप्रसे (1992), कमिश्नर, शहडोल संभाग एवं कमिश्नर, रीवा संभाग केवल कमिश्नर, रीवा संभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(4) इस विभाग के आदेश क्रमांक ई-1-192-2011-5-एक, दिनांक 12 जून 2011, जिसके द्वारा श्री अजय तिकी, भाप्रसे (1987), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा पदेन अपर विकास आयुक्त को कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा पदस्थ किया गया है, को एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 22 जून 2011

क्र. एफ 03-43-2011-दो-ए(3).—इस विभाग की समसंख्यक विभागीय परीक्षा की सूचना तथा कार्यक्रम दिनांक 9 जून 2011 में आंशिक निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:—

“बुधवार दिनांक 27 जुलाई, 2011 को आयोजित विभागीय परीक्षा के तृतीय प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया-राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना-सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये, जो कि प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक निर्धारित है.

के स्थान पर

अब यह प्रश्नपत्र सोमवार दिनांक 8 अगस्त, 2011 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक मसूरी स्थित राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी सहित प्रदेश के समस्त संभागीय आयुक्तों द्वारा आयोजित की जावेगी.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**अम्बरीश श्रीवास्तव**, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2011

क्र. एफ 1-55-2009-दो-ए(3).—मध्यप्रदेश लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 (क्र 46/1974) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, श्री नियाज अहमद खान, आवंटन अधिकारी, संपदा संचालनालय, भोपाल को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक 22 जून 2011 से उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये नगर निगम भोपाल सीमाक्षेत्र हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**अम्बरीश श्रीवास्तव**, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2011

क्र. एफ 1-55-2009-दो-ए(3).—भारत के संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 6 जुलाई 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल से प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**अम्बरीश श्रीवास्तव**, उपसचिव.

Bhopal, the 6th July 2011

No F-1-55-2009-II-A-(3).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Madhya Pradesh Lok Parisar (Bedakhali) Adhiniyam, 1974 (No. 46 of 1974), the State Government hereby appoints Shri Niyaz Ahmed Khan, Allotment Officer, Directorate of Estates, Bhopal as competent authority, with effect from the date 22nd June 2011 of his taking over charge for the purpose of the said Adhiniyam within the jurisdiction of Municipal Corporation, Bhopal.

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
**AMBRISH SHRIVASTAVA**, Dy. Secy.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 25 जून 2011

क्र. एफ 1(ए) 61-2009-ब-2-दो.—श्री नवल सिंह रघुवंशी, भापुसे, तत्का. सेनानी, 6वीं वाहिनी, विसबल, जबलपुर को दिनांक 31 जुलाई से 5 अगस्त 2010 तक कुल छः दिवस एवं दिनांक 9 से 15 अगस्त 2010 तक सात दिवस के लघुकृत अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(3) अवकाशकाल में श्री नवल सिंह रघुवंशी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नवल सिंह रघुवंशी, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 27 जून 2011

क्र. एफ 1-(ए) 58-2003-ब-2-दो.—श्री एल.सी. भारतीय, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक (अजाक), पु.मु. भोपाल को The Second Course of Phase IV Mid Career Training Programme में दिनांक 16 मई से 24 जून 2011 तक राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में एवं दिनांक 27 जून से 8 जुलाई 2011 तक केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यू. के. में प्रशिक्षण उपरान्त दिनांक 11 से 15 जुलाई 2011 तक, कुल पांच दिवस का अर्जित अवकाश (Ex-India) दिनांक 9, 10 एवं 16, 17 जुलाई 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे, राज्य शासन नहीं.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(2) अवकाशकाल में श्री एल.सी. भारतीय, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एल.सी. भारतीय, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2011

क्र. एफ 1(ए) 150-90-ब-2-दो.—श्री संजय व्ही. माने, भापुसे, जेल महानिरीक्षक एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 26 मई से 6 जून 2011 तक कुल बारह दिवस के अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संजय व्ही. माने, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न जेल महानिरीक्षक एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) अवकाशकाल में श्री संजय व्ही. माने, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय व्ही. माने, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए) 253-88-ब-2-दो.—डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (रेल), भोपाल को दिनांक 16 से 19 अगस्त 2011 तक, कुल चार दिवस के अर्जित अवकाश दिनांक 13, 14, 15 एवं 20, 21, 22 अगस्त 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) डॉ. गर्ग, भापुसे के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री एम. आर. आसूदानी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (दूरसंचार), भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (रेल), भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (रेल), भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव पुलिस महानिरीक्षक (रेल), भोपाल, के कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक दास, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 जून 2011

क्र. एफ 1(बी) 154-10-बी-4-दो.— राज्य शासन, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2008 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिए निम्न अभ्यर्थी को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में कनिष्ठ वेतनमान 15,600—39,100+5,400 में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त करता है. नवनियुक्त अधिकारीगण आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी, सागर में प्रशिक्षण हेतु कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे. अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माने जावेंगे :—

क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित मुख्य सूची का क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पता
(1)	(2)	(3)
1	11	श्री राकेश कुमार पन्द्रो, म. नं. 1 टाईप 3 माधव विलास पैलेस, शिवपुरी म. प्र. पिनकोड 473551.
2.		उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि में "संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण" प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी.
3.		नियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 से शासित होगी. सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अन्तर्गत निराकृत किये जायेंगे.
4.		नियुक्त अधिकारियों की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती हैं. इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग-पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व की बकाया की भांति उनसे वसूल की जावेगी.
5.		राज्य शासन के अधीन दिनांक 1-1-2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी.

6. नियुक्त अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेंगी. उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.
7. परिवीक्षाधीन अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व एक "बॉण्ड" शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होंगे, की वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा. जिसकी पूर्ति कर जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी, सागर में कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारी को अपनी उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.
8. नवनियुक्त अधिकारी पूर्व में शासकीय, अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत हैं, तो उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अर्जांच एवं अमांग प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**राजेश ओगरे**, अवर सचिव.

## आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जून 2011

क्र. एफ. 7-18-07-बत्तीस-1.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 65 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17 अप्रैल 2007 द्वारा श्री जयसिंह कुशवाह, ग्वालियर को साडा ग्वालियर के अध्यक्ष पद पर आगामी आदेश तक नियुक्त किया गया था.

2. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 1975 के नियम 17 द्वारा अध्यक्ष की पदावधि चार वर्ष निर्धारित की गई है. उक्त प्रावधानानुसार श्री कुशवाह की चार वर्ष की पदावधि दिनांक 16 अप्रैल 2011 को समाप्त होती है.

3. राज्य शासन, एतद्वारा, श्री जयसिंह कुशवाह, ग्वालियर को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 65 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (काउन्टर मेनेट) ग्वालियर के अध्यक्ष पद पर दिनांक 17 अप्रैल 2011 से छः माह के लिए अर्थात् दिनांक 16 अक्टूबर 2011 तक नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**आशीष सक्सेना**, उपसचिव.

## पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 जून 2011

क्र. एफ. 11-2-2008-चौवन-2.—विभागीय आदेश क्रमांक एफ. 11-2-2008-चौवन-2, दिनांक 15 जून 2011 द्वारा मध्यप्रदेश स्टेट हज कमेटी का गठन किया गया है. राज्य शासन कमेटी के अध्यक्ष के चुनाव शीघ्र कराने हेतु श्री दाऊद अहमद खान, प्रभारी उप संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण को चुनाव अधिकारी नामांकित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**जी. एस. खैरवार**, उपसचिव.

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2011

फा. क्र. 1-1-88-इक्कीस-ब-(एक).—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-1-88-इक्कीस-ब-(एक), दिनांक 24 अक्टूबर, 2009 में, जो "मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1" में, दिनांक 6 नवम्बर, 2009 प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 7, 10, 20, 26. एवं 32 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

### अनुसूची

अनुक्रमांक	सेशन न्यायाधीश/ अपर न्यायाधीश	स्थानीय क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"7.	प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, भिण्ड.	भिण्ड
10.	प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, छतरपुर.	छतरपुर
20	प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, हरदा.	हरदा
26	प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, मण्डला.	मण्डला
32	प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, रायसेन.	रायसेन."

F. No. 1-1-88-XXI-B(1).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), the State Government hereby, makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 1-1-88-XXI-B (1), dated 24th October, 2009 which was published in the Madhya Pradesh, Gazette Part-I, dated 6<sup>th</sup> November, 2009 namely :—

#### AMENDMENT

In the said Notification, in the Schedule, for serial number 7, 10, 20, 26, & 32 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

#### SCHEDULE

S.No.	Sessions Judge/ Additional Sessions Judge	Local area
(1)	(2)	(3)
“ 7.	1st Additional Sessions Judge, Bhind.	Bhind
10.	1st Additional Sessions Judge, Chhatarpur.	Chhatarpur
20.	1st Additional Sessions Judge, Harda.	Harda
26	1st Additional Sessions Judge, Mandla.	Mandla
32.	1st Additional Sessions Judge, Raisen.	Raisen.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**ए. जे. खान**, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 जून 2011

फा. क्र. 1 (सी)3-08-इक्कीस-ब (दो).—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 8 जुलाई 2009 द्वारा नियुक्त श्री जानकीशरण तिवारी, जिला अभियोजन अधिकारी, सागर के कार्यकाल में उनके कार्यकाल समाप्त होने के दिनांक 25 मार्च 2011 से उनकी पदस्थापना तक अथवा एक वर्ष की अवधि तक जो भी कम हो, तक की अवधि के लिये अभिवृद्धि करता है.

भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 2011

फा. क्र. 1 (सी)11-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्री जानकीशरण तिवारी उप संचालक अभियोजन, जिला सागर को

सागर जिले के लिये विशेष लोक अभियोजक की शक्तियां उनकी उक्त पदस्थापना तक की अवधि के लिये प्रदान करता है.

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2011

फा. क्र. 1 (बी)1-04-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 अक्टूबर 2004 द्वारा श्री श्रवण कुमार खरे अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक फास्ट ट्रेक कोर्ट, टीकमगढ़ को नियुक्त किया गया था.

श्री श्रवण कुमार खरे, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक फास्ट ट्रेक कोर्ट, टीकमगढ़ के फास्ट ट्रेक न्यायालय समाप्त हो जाने के कारण श्री श्रवण कुमार खरे, अति. शासकीय अभिभाषक/अति. लो. अभि. की सेवाओं की आवश्यकता नहीं रह जाने के कारण विधि विभाग नियमावली के नियम 19 के अन्तर्गत एक माह का नोटिस दिया जाकर उनको पदमुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**ए. जे. खान**, सचिव.

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2011

#### संशोधन

इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना फा. क्र. 17 (ई) 43-2009-3835-इक्कीस-ब (एक)-10, दिनांक 20 मई 2011 जो मध्यप्रदेश राजपत्र (साधारण), भाग-1 दिनांक 3 जून 2011 में प्रकाशित हुई थी, की पंक्ति क्रमांक 33 के कॉलम 2 में सुरेश कुमार रघुवंशी के स्थान पर सुरेश कुमार सूर्यवंशी पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**दिनेश नायक**, सचिव.

#### ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2011

क्र. एफ. 2-24-2011-तेरह.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ई-1-219-2011-5-एक, दिनांक 25 जून 2011 के अनुसरण में, श्री मनीष रस्तोगी, आयुक्त, कोष एवं लेखा एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**के. सी. दुबे**, अवर सचिव.



आवास एवं पर्यावरण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 जून 2011

क्र. एफ-3-118-2009-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 “क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-118-2009-बत्तीस, दिनांक 12 अक्टूबर 2010 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित जावरा विकास योजना, 2011 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करता है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

उपांतरण विवरण

क्र.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ग्राम रोजाना	406, 410/1, 410/3, 411/1, 411/2, 412/2, 412/3	2.416	कृषि	आवासीय
	बामनखेड़ी	1/1, 22	1.694	कृषि	आवासीय
			योग . . . 4.110		

(2) उपरोक्त उपांतरण जावरा विकास योजना-2011 का एकीकृत भाग होगा.

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2011

क्र. एफ-3-178-2010-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 “क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-178-2010-बत्तीस, दिनांक 13 दिसम्बर 2010 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित ग्वालियर विकास योजना, 2005 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करता है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

उपांतरण विवरण

क्र.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ग्वालियर (फूलबाग)	श्री गुरुनानक देव गुरुद्वारा समिति को अन सर्वेड एरिया में आदेश क्र. एफ-6-178/ 07/7/नजूल दि. 26-9-08 द्वारा आवंटित शासकीय भूमि.	313.54 वर्गमीटर (3375 वर्गफुट)	नगर उद्यान	वाणिज्यिक
			योग.. 313.54 वर्गमीटर (3375 वर्गफुट)		

(2) उपरोक्त उपांतरण ग्वालियर विकास योजना-2005 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 जून 2011

फा. क्र. 17 (ई) 43-2009-3835-इक्कीस-ब-(एक) 10.—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 (ई) 43-2009-3835-इक्कीस-ब-(एक), दिनांक 20 मई 2011 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 58 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

### सारणी

अनु. क्रमांक	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थल	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“58.	श्री सुधीर सिंह	रीवा	रीवा	रीवा	रीवा.”.

**टिप्पणी.—** जहां किसी सिविल, जिले में दो ग्राम न्यायालयों के लिये एक समान न्यायाधिकारी हैं वहां ऐसे समान न्यायाधिकारी प्रत्येक माह में 15 दिन की निरंतरता में प्रत्येक ग्राम न्यायालय की बैठक करेंगे.

F. No. 17 (E) 43-2009-3835-XXI-B-(1)-10.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009) the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh hereby makes the following amendment in this department's notification F. No. 17 (E) 43-2009-3835-XXI-B (1), dated 20th May, 2011 namely:—

### AMENDMENT

In the said Notification, in the table for serial number 58 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto, shall be substituted namely :—

### TABLE

S. No.	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“58.	Shri Sudhiur Singh	Rewa	Rewa	Rewa	Rewa.”.

**Note.—**Where there are one common Nyayadhikari for two Gram Nyayalayas of a Civil District, in that case, such common Nyayadhikari shall preside each Gram Nyayalaya for 15 days in each month in continuity.

## भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2011

फा. क्र. 17 (ई) 43-2009-3835-इक्कीस-ब-(एक) 11.—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 (ई) 43-2009-3835-इक्कीस-ब-(एक), दिनांक 20 मई 2011 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

## संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 35 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

## सारणी

अनु. क्रमांक	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थल	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“35.	श्री महेन्द्र कुमार त्रिपाठी	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद.”

**टिप्पणी.**— जहां किसी सिविल, जिले में दो ग्राम न्यायालयों के लिये एक समान न्यायाधिकारी हैं वहां ऐसे समान न्यायाधिकारी प्रत्येक माह में 15 दिन की निरंतरता में प्रत्येक ग्राम न्यायालय की बैठक करेंगे.

F. No. 17 (E) 43-2009-3835-XXI-B-(1)-11.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009) the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh hereby makes the following amendment in this department's notification F. No. 17 (E) 43-2009-3835-XXI-B (1), dated 20th May, 2011 namely:—

## AMENDMENT

In the said Notification, in the table for serial number 35 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto, shall be substituted namely:—

## TABLE

S. No.	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“35.	Shri Mahendra Kumar Tripathi	Hoshangabad	Hoshangabad	Hoshangabad	Hoshangabad”.

**Note.**—Where there are one common Nyayadhikari for two Gram Nyayalayas of a Civil District, in that case, such common Nyayadhikari shall preside each Gram Nyayalaya for 15 days in each month in continuity.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. जे. खान, प्रमुख सचिव.

## विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिंगरौली (मध्यप्रदेश)

सिंगरौली, दिनांक 28 जून 2011

क्र. 588-आर.डी.एम.-2011.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1972 का संख्या 02) की धारा 2 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिंगरौली, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम (1) में विनिर्दिष्ट स्थान पर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का संख्या-22) अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 (1989 का संख्या 23) एवं अन्य विधियों के अधीन अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध किये गये अपराधों के प्रयोजनों के लिये मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-2-(क)/24-08-बी-3-दो, भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2010 के द्वारा स्वीकृत अनुसूचित जनजाति, कल्याण, पुलिस थाने की अधिकारिता, अनुसूची के कालम नं. (2) में अंकित तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट रखने वाले थाना के रूप में घोषित करता हूँ:—

### अनुसूची

अजा/जजा कल्याण पुलिस थाना का स्थान  
(1)

अधिकारिता  
(2)

अजाक थाना सिंगरौली

सम्पूर्ण सिंगरौली जिला

No. 589-RDM-2011.— In exercise of the powers conferred by clause (G) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) the I, Collector & District Magistrate, Singrauli hereby, declare the Anusuchit Jati Evam Janjati Kalyan Police Station at the Place specified in column (1) of the Schedule below having jurisdiction specified in the corresponding entries in column (2) of the said Schedule for the purposes of the offences under the Protection of Civil Right Act, 1955 (22 of 1955), the Scheduled Caste and the Scheduled Tribes (Prevention of atrocities) Act, 1989 (No. 23 of 1989) and other laws committed against the members of Scheduled Castes and the Scheduled Tribes:—

### SCHEDULE

Places of Police Station  
A.J./A.J.J.K.  
(1)

Jurisdiction  
(2)

A. J. K. P. S. Singrauli

Whole of District—Singrauli

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

## राज्य शासन के आदेश

### श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2011

क्रमांक एफ-4(ए)/5/2011/ए-16.— मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक-25, सन् 1958) की धारा 1 की उपधारा (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन यह निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम के उपबन्ध, इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से निम्नलिखित अनुसूची के स्तंभ क्रमांक (3) में उल्लेखित नगरों के स्तंभ क्रमांक (4) में उल्लेखित स्थानीय क्षेत्रों में लागू होंगे:—

### अनुसूची

क्रमांक (1)	जिले का नाम (2)	स्थान का नाम (3)	स्थानीय क्षेत्र (4)
	1. ग्वालियर	1. पिछोर	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		2. बिलौआ	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		3. आंतरी	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		4. भितरवार	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
	2. शिवपुरी	5. करेरा	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		6. खनियाधाना	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		7. पिछोर	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		8. बदरवास	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		9. नरवर	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
	3. गुना	10. राघोगढ़	नगरपालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		11. चाचौडाबीनागज	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		12. आरोन	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		13. कुंभराज	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
	4. अशोकनगर	14. चंदेरी	नगरपालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		15. मुगावली	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		16. ईसागढ़	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
	5. दतिया	17. भाण्डेर	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		18. इंदरगढ़	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		19. सेवडा	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		20. बडोनी	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
	6. भिण्ड	21. मेंहगांव	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		22. लहार	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		23. गोरमी	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		24. अकोडा	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		25. मिहोना	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		26. आलमपुर	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		27. दबोह	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		28. मौ	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		29. फूफकलां	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
	7. मुरैना	30. पोरसा	नगरपालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		31. कैलारस	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		32. झुण्डपुरा	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
		33. बामौर	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।









		184. बिजुरी 185. जैतहरी 186. अमरकंटक	नगरपालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र। नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र। नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
	39. उमरिया	187. चंदिया 188. नौरोजाबाद 189. पाली	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र। नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र। नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
	40. जबलपुर	190. बरेला 191. भेड़घाट 192. शाहपुरा 193. पाटन 194. मझौली 195. कटंगी	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र। नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र। नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र। नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र। नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र। नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
	41. कटनी	196. बरही 197. विजयराघवगढ़	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र। नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
	42. बालाघाट	198. मलाजखंड 199. कटंगी 200. बैहर 201. लांजी	नगरपालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र। नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र। नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र। नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
	43. छिन्दवाड़ा	202. दमुआ 203. चौरई 204. अमरवाड़ा 205. हरई 206. लोधीखेडा 207. न्यूटन चिखली 208. चांदामेटा बुटारिया 209. मोहगांव 210. बडकुही 211. पपलानारायणवार	नगरपालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र। नगरपालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र। नगरपालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र। नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र। नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र। नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र। नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र। नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र। नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र। नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र। नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
	44. नरसिंहपुर	212. तेंदूखेडा	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
	45. सिवनी	213. लखनादौन 214. बरघाट	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र। नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
	46. मण्डला	215. नैनपुर 216. बम्हनीबंजर 217. निवास 218. बिछिया	नगरपालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र। नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र। नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र। नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।
	47. डिण्डोरी	219. शाहपुरा	नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।

No. F-4(A)/5/2011/A-16.— -----In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the Madhya Pradesh Shops and Establishments Act, 1958 (25 of 1958), the State Government hereby directs that all provisions of the said Act shall apply to the towns specified in column number 3 of the schedule given below, within the local areas specified in column (4) of the said Schedule, with effect from the date of publication of this Notification in the Madhya Pradesh Gazette:-

**SCHEDULE**

Number (1)	District (2)	Name of Town (3)	Local area (4)
	1.Gwalior	1.Pichhor	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		2.Bilooa	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		3.Aantari	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		4.Bhitarwar	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	2.Shivpuri	5.Karera	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		6.Khaniadhana	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		7. Pichhor	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		8.Badarwas	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		9.Narwar	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	3.Guna	10.Raghogarh	Area comprising within the local limits of Nagar Palika
		11.Chachoidabinagaj	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		12.Aaron	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		13.Kumbhraj	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	4.Ashoknagar	14. Chanderi	Area comprising within the local limits of Nagar Palika
		15. Mugawali	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		16. Isagarh	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	5. Datia	17.Bhander	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		18.Indergarh	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		19.Sevda	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		20.Badoni	Area comprising within the local limits of

			Nagar Panchayat
	6.Bhind	21.Mehgaon	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		22.Lahar	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		23.Gormi	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		24.Akoda	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		25.Mihona	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		26.Aalampur	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		27.Daboh	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		28.Moi	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		29.Phoophkala	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	7.Morena	30.Porsa	Area comprising within the local limits of Nagar Palika
		31.Kailaras	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		32.Zundpura	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		33. Bamor	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	8.Shyopurkalan	34.Vijaypur	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		35. Badoida	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	9.Indore	36. Depalpur	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		37.Sawer	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		38.Goitampura	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		39.Betma	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		40.Roau	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		41.Hatod	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		42. Manpur	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		43.Mahugaon	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	10.Dhar	44.Dharampuri	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		45.Sardarpur	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		46. Mandav	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		47.Dahi	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

	11.Badwani	48.Khetiya	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		49.Pansemaal	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		50.Palsud	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	12.Zhabua	51.Thadla	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		52.Petlawad	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		53.Ranapur	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	13.Arirajpur	54.Jobat	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		55.Bhavra	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	14.Khanwa(East Nimar)	56.Moondi	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		57.Pandhana	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		58.Onkareshwar	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		59.Chhanera	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	15.Burhanpur	60.Shahpur	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	16.Ujjain	61.Unhel	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		62.Makdon	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	17.Neemuch	63.Javad	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		64.Jeeran	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		65.Ratangarh	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		66.Singoli	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		67.Diken	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		68.Kukadeshwar	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	18.Dewas	69.Khategaon	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		70.Hatpiplya	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		71.Bagli	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		72.Bhaurasa	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		73.Karnawad	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

		74. Kataphod	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		75.Loharda	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		76.Satwas	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		77.Tonkkhurd	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		78.Piplrnwa	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	19.Shajapur	79.Nalkheda	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		80.Maksi	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		81.Badoid	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		82.Kanad	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		83.Akodia	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		84.Susner	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		85.Soyatkala	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		86.Badagaon	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		87.Polaykala	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	20.Ratlam	88.Tal	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		89.Sailana	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		90.Namali	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		91.Badavda	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		92.Piploida	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		93.Dhamnod	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	21.Mandsaur	94.Seetamoi	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		95.PiPLYamandi	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		96.Narayangarh	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		97.Malhargarh	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		98.Bhanpura	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		99.Nagari	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

		100.Garoth	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		101.Suwasara	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	22.Sehor	102. Echyawar	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		103.Budni	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		104.Jawar	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		105.Nasrullaganj	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		106.Rehti	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		107.Kothri	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		108.Shahganj	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	23.Raisen	109.Sultanpur	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		110.Badi	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		111.Sanchi	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		112.Udaypura	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		113.Silwani	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		114.Gairatganj	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	24.Vidisha	115.Kurwai	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		116.Lateri	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		117.Shamshabad	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	25.Rajgarh	118.Jeerapur	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		119.Khilchipur	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		120.Talen	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		121.Boda	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		122.Khujner	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		123.Pachor	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		124.Suthalia	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		125.Machalpur	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

		126.Chhapiheda	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
26.Hoshangabad		127.Babai	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		128.Sohagpur	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
27.Harda		129.Timrani	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
28.Baitul		130.Baitul Bazar	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		131.Aathner	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		132.Chicholi	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
29.Sagar		133.Rehli	Area comprising within the local limits of Nagar Palika
		134.Rahatargarh	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		135.Banda	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		136.Shahpur	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		137.Shahgarh	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
30.Damoh		138.Tendukheda	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		139.Pathriya	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		140.Hindoriya	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
31.Panna		141.Aamanganj	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		142.Devendra nagar	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		143.Ajaygarh	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		144.Kakarhati	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		145.Pavai	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
32.Chhatarpur		146.Dhuwara	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		147.Satai	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		148.Barigarh	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		149.Gadhimalhra	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		150.Baxwaha	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		151.Chandla	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

		152.Rajnagar	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	33.Tikamgarh	153.Niwadi	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		154.Pruthvipur	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		155.Devgarh	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		156.Khargapur	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		157.Palera	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		158.Jaironkhalsa	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		159.Taricharkala	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		160.Jatara	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		161.Lidhorakhas	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		162.Badagaon	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		163.Kari	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		164.Oarcha	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	34.Reewa	165.Baikunthpur	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		166.Hanumna	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		167.Chakghat	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		168.Govindgarh	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		169.Naigadhi	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		170.Sirmor	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		171.Mangawa	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		172.Semriya	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		173.Gudh	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	35.Seedhi	174.Churhat	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		175.Rampurnekin	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		176.Mazoli	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	36.Satna	177.Birsinghpur	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat



		178.Kotar	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		179.Kothi	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		180.Rampur-Baghelan	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
37.Shahdol		181.Jaysinghnagar	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		182.Khand	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
38.Anooppur		183.Pasan	Area comprising within the local limits of Nagar Palika
		184.Bijoori	Area comprising within the local limits of Nagar Palika
		185.Jaithari	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		186.Amarkantak	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
39.Umaria		187.Chandia	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		188.Naurojabad	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		189.Pali	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
40.Jabalpur		190.Barela	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		191.Bhedaghat	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		192.Shahpura	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		193.Patan	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		194.Mazoli	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		195.Katangi	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
41.Katni		196.Barhi	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		197.Vijayraghavarh	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
42.Balaghat		198.Malajkhand	Area comprising within the local limits of Nagar Palika
		199.Katangi	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		200.Baihar	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		201.Lanji	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
43.Chhindwara		202.Damua	Area comprising within the local limits of Nagar Palika
		203.Chaurai	Area comprising within the local limits of Nagar Palika

		204.Amarwada	Area comprising within the local limits of Nagar Palika
		205.Harai	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		206.Lodhikheda	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		207.Newton Chikhali	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		208.Chanda Meta Butaria	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		209.Mohgaon	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		210.Badkuhi	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		211.Paplanarayanwar	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	44.Narsinhpur	212.Tendukheda	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	45.Seoni	213.Lakhnadaun	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		214.Barghat	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	46.Mandla	215.Nainpur	Area comprising within the local limits of Nagar Palika
		216.Bmhnibanmar	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		217.Niwas	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
		218.BiChiya	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat
	47.Dindori	219.Shahpura	Area comprising within the local limits of Nagar Panchayat

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पुखराज मारू, प्रमुख सचिव.

## राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 8 जून 2011

नस्ती क्र. 75-एल.ए.-2011-भू-अर्जन-प्र. क्र. 52-अ-82-09-10.— चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	सहेजला	5.28	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25, नर्मदानगर.	पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. 84-एल.ए.-2011-भू-अर्जन-प्र. क्र. 53-अ-82-09-10.— चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	देलवा रैं.	0.68	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25, नर्मदानगर.	पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. 86-एल.ए.-2011-भू-अर्जन-प्र. क्र. 54-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	खुटला खुर्द	1.57	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25, नर्मदानगर.	पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. 83-एल.ए.-2011-भू-अर्जन-प्र. क्र. 55-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	पिपलकोटा	1.40	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25, नर्मदानगर.	पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

खण्डवा, दिनांक 14 जून 2011

नस्ती क्र. 360-2009-एल.ए.-भू-अर्जन-प्र. क्र. 10-अ-82-09-10-शुद्धि-पत्र.—पुनासा, उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन के निर्माण हेतु ग्राम रिछी, तहसील पुनासा, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के भू-अर्जन प्रकरण क्र.-10-अ-82-09-10 में भू-अर्जन

अधिनियम, 1894 की धारा 6 की उद्घोषणा का प्रकाशन म. प्र. राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 25 जून 2010 को हुआ है। उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे।

प्रकाशन जिसमें हुआ	पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि		सही संशोधित प्रविष्टि	
	खसरा नम्बर	रकबा (हे. में.)	खसरा नम्बर	रकबा (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 25-06-2010	33/2	0.09	32/2	0.09

उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 2.15 हे. यथावत् रहेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर, एवं पदेन सचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 20 जून 2011

क्र. क्यू-भू अर्जन-130-10-11-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

भूमि का वर्णन		अनुसूची		धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	खसरा नं.	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हैक्टर में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
शिवपुरी	नरवर	सहीडा कलां	7	0.01	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना	सिंध दांया तट नहर (महुअर
			9	0.32	दाया तट नहर संभाग करैरा	नदी तक) की शाखा डी-5
			27	0.07	जिला शिवपुरी.	की 8 एल-9 एल मायनर
			28	0.20		निर्माण कार्य हेतु.
			35	0.11		
			37	0.15		
			53	0.10		
			54	0.21		
			56	0.12		
			57	0.05		
			60	0.12		
			61	0.27		
			63	0.16		
			82	0.06		

---

---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			83	0.31	
			84	0.17	
			85	0.09	
			86/1	0.07	
			86/2	0.07	
			87	0.02	
			95	0.07	
			96	0.22	
			97	0.01	
			98	0.17	
			104	0.14	
			105	0.04	
			106	0.25	
			110	0.01	
			111	0.22	
			112	0.04	
			127	0.03	
			172	0.01	
			173	0.14	
			174	0.15	
			175	0.01	
			176	0.23	
			192	0.18	
			193	0.17	
			194	0.05	
			195	0.10	
			211	0.44	
			212	0.10	
			325	0.03	
			327	0.12	
			328	0.05	
			329	0.03	
			331	0.03	
			332	0.04	
			333	0.07	
			334	0.06	
			337	0.06	
			338	0.02	
			339	0.07	
			340	0.01	
			341	0.03	
			342	0.06	
			343	0.07	
			346	0.02	
			347	0.05	
			349	0.06	
			350	0.03	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			517	0.11	
			518	0.13	
			521	0.26	
			523	0.13	
			527	0.02	
			543	0.36	
			544	0.07	
			545	0.04	
			546	0.01	
			547	0.01	
			554	0.17	
			555	0.04	
			592	0.01	
			596	0.01	
			597	0.20	
			598	0.15	
			599	0.12	
			600	0.01	
			602	0.11	
			603	0.01	
			604	0.10	
			605	0.18	
			606	0.02	
			609	0.04	
			677	0.01	
			678	0.21	
			679	0.01	
			680	0.10	
			681	0.03	
			692	0.16	
			693	0.10	
			694	0.11	
			697	0.12	
			698	0.07	
			699	0.08	
			702	0.17	
			716	0.03	
			717	0.24	
			719	0.16	
			कुल योग :	10.28	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू-भू अर्जन-131-10-11-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध

में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

भूमि का वर्णन			अनुसूची		धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	खसरा नं.	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हैक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)
शिवपुरी	नरवर	तोरस नाई	108	0.03	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना	सिंध दांयी तट नहर (महुअर
			109	0.42	दायी तट नहर संभाग करैरा	नदी तक) की शाखा डी-8
			282	0.02	जिला शिवपुरी.	एवं मायनर निर्माण कार्य
			283	0.02		हेतु.
			284	0.04		
			285	0.03		
			290	0.02		
			289	0.01		
			291	0.07		
			292	0.08		
			293	0.03		
			304	0.05		
			173	0.14		
			295	0.08		
			298	0.06		
			166	0.02		
			277	0.07		
			303	0.09		
			305	0.05		
			174	0.05		
			167	0.02		
			306	0.27		
			307	0.03		
			314	0.03		
			315	0.11		
			317	0.14		
			319	0.01		
			320	0.03		
			321	0.03		
			214	0.34		
			215	0.01		
			223	0.21		
			222	0.20		



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			269	0.04	
			271	0.17	
			243	0.14	
			246	0.30	
			248	0.21	
			270	0.09	
			272	0.13	
			322	0.36	
			323	0.02	
			326	0.07	
			325	0.01	
			327	0.08	
			328	0.15	
			330	0.01	
			318	0.10	
			331	0.11	
			339	0.26	
			340	0.02	
			341	0.29	
			66	0.02	
			68	0.10	
			69	0.01	
			81	0.05	
			83	0.25	
			85	0.12	
			100/3	0.07	
			101/3	0.09	
			118	0.12	
			163	0.03	
			164	0.03	
			168	0.03	
			165	0.02	
			169	0.03	
			170/1	0.02	
			175	0.13	
			योग :	6.49	

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

शिवपुरी, दिनांक 30 जून 2011

क्र. क्यू-भू अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.

अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी, व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) की उपधारा		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	खसरा नं.	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हैक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
शिवपुरी	कोलारस	सुनाज	184/13	0.10	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शिवपुरी.	सुनाज तालाब योजना एवं नहर निर्माण हेतु.
			184/14	0.10		
			184/16	0.05		
			184/17	0.10		
			211	0.25		
			259	0.003		
			268	0.004		
			269	0.079		
			270	0.029		
			273	0.038		
			274	0.026		
			275	0.049		
			276	0.039		
			364	0.062		
			365	0.138		
			382	0.218		
			402	0.024		
			403	0.10		
			404	0.046		
			408	0.10		
			443	0.321		
			444	0.059		
			463	0.009		
			520	0.001		
			521	0.22		
			522	0.054		
			837	0.34		
			838	0.11		
			869	0.11		
			873	0.006		
			874	0.037		
			875	0.06		
			876	0.05		
			877	0.044		
			879	0.004		
			881	0.057		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			886	0.138	
			887	0.11	
			888	0.10	
			895	0.237	
			1029	0.078	
			1032	0.164	
			1035	0.25	
			1039	0.017	
			1040	0.072	
			1049	0.038	
			1051	0.235	
			1058	0.20	
			1198	0.066	
			1204	0.077	
			1206	0.038	
			1225	0.457	
			1230	0.175	
			1398	0.118	
			1400	0.146	
			1403	0.118	
			1579	0.103	
			1580	0.102	
			1583	0.064	
			1601	0.055	
			1605	0.105	
			1606	0.124	
			1625	0.001	
			1628	0.105	
			1629	0.093	
			1630	0.010	
			1631	0.088	
			1646	0.068	
			1656	0.381	
			1657	0.120	
			1661	0.181	
			1704	0.003	
			1762	0.02	
			1780	0.182	
			1824	0.137	
			1825	0.05	
			1832	0.109	
			1833	0.078	
			1859	0.739	
			1860	0.37	
			1862	0.27	
			1863	0.40	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			1865	1.55	
			1866	0.246	
			1870	0.98	
			1872	1.00	
			1873	0.72	
			1874	1.78	
			1875	1.97	
			1877	1.00	
			1878	0.70	
			1879	1.05	
			1880	2.00	
			1881	2.02	
			1882	2.02	
			1883	0.699	
			1888	1.42	
			1889	1.20	
			1890	1.00	
			1891	0.42	
			1892	2.02	
			1893	1.05	
			1894	0.23	
			1895	0.68	
			1896	3.24	
			1898	0.413	
			1900	0.621	
			1903	0.191	
			1904	0.453	
			1951	0.016	
			1975	0.217	
			1976	0.152	
			1977	0.169	
			1979	0.211	
			2119	0.10	
			2120	1.45	
			2122	0.63	
			2123	0.09	
			2124	0.54	
			2125	1.50	
			2126	0.52	
			2127	0.568	
			2135	2.42	
			2137/1	2.00	
			2137/2	1.09	
			2149	0.159	
			2151	0.90	
			2152	0.70	
			2156	1.13	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			2158	0.86	
			2168	0.43	
			2169	1.55	
			2170	0.45	
			2171	0.10	
			2178	1.65	
			2179	0.20	
			2180	1.60	
			2181	0.30	
			2183	0.43	
			2184	1.20	
			2185	0.30	
			2186	0.82	
			2188	0.15	
			2190	0.20	
			2191	0.60	
			2192	0.50	
			2196	2.02	
			2197	2.02	
			2198	0.40	
			2199	2.02	
			2200	2.02	
			2201	2.02	
			2208	1.15	
			2210	1.60	
			2213	1.40	
			2214	0.25	
			2215	0.872	
			2216	2.00	
			2217	1.04	
			2218	1.711	
			2219	2.00	
			2220	1.38	
			2221	2.00	
			2222	2.00	
			2223	0.19	
			2225	0.20	
			2226	0.183	
			2232	0.20	
			2234	1.60	
			2237	0.12	
			2238	1.00	
			योग :	98.448	

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोलारस के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजकुमार पाठक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 27 जून 2011

प्र. क्र. 5-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

## अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1) विदिशा	(2) लटेरी	(3) रुसिया लक्ष्मीपुर	(4) 1.439 1.671 योग . . 3.110	(5) भू-अर्जन अधिकारी, सिरोंज	(6) रुसिया लघु तालाब की बांयी तट नहर हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—रुसिया लघु तालाब की बांयी तट नहर हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, सिरोंज में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मझौली, दिनांक 29 जून 2011

क्र. 1020-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1) सीधी	(2) मझौली	(3) डांगा	(4) 0.43	(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-1, सीधी, जिला सीधी (म. प्र.).	(6) सेहरा बांध की नहर निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस.एन. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 29 जून 2011

प्र. क्र. 15-अ-82-पत्र क्र.-877-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	सेमल्दा	100.00 वर्गमीटर म. प्र. शासन	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. न. घा. वि.प्रा. मान जोबट परियोजना संभाग, कुशी.	सरदार सरोवर परियोजना (अन्तर्राज्यीय प्रोजेक्ट) में आने से.

**नोट:—**भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, कुशी एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. न.घा.वि.प्रा. मान जोबट परियोजना संभाग कुशी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**बी. एम. शर्मा**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

होशंगाबाद, दिनांक 29 जून 2011

क्र. 9245-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर/एकड़ में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
होशंगाबाद	डोलरिया	खरार चंडवाड सोनखेडी	0.096 0.228 0.144	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रमांक-1, होशंगाबाद.	सोनखेडी से मिसरोद मार्ग निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**निशांत वरवडे**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 1 जुलाई 2011

प्र. क्र. 3-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

## अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	
रायसेन	उदयपुरा	बेरखेड़ी	37/2	0.919	0.086	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, रायसेन.	कुकरा जलाशय की उप नहरों हेतु.
			37/1	0.919	0.126		
			22/2/2	0.303	0.076		
			22/2/1	0.899	0.090		
			31	1.716	0.144		
			29/1	3.258	0.191		
			73/2	1.954	0.169		
			73/1	3.615	0.011		
			67	3.153	0.252		
			65	2.537	0.184		
			110/1	1.821	0.119		
			110/2	1.421	0.115		
			109	1.404	0.162		
			146	0.501	0.011		
			183/1/1	9.635	0.169		
			183/2/1	1.619	0.270		
			142/1	1.595	0.065		
			142/2	1.088	0.079		
			142/3	2.918	0.198		
			143	1.404	0.112		
149	3.177	0.097					
151	2.719	0.180					
150	0.793	0.097					
सिमरिया			18/1	2.351	0.043		
			18/2	1.619	0.032		
			13/1	3.225	0.144		
			13/2	1.071	0.061		



(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			11/2	2.023	0.191	
			9/1	2.857	0.148	
			9/2/1	1.534	0.083	
			9/2/2	1.619	0.083	
			8	2.509	0.133	
			38/3	1.805	0.133	
			38/2	3.405	0.201	
			38/1	3.405	0.241	
			67/1	3.238	0.097	
			67/2	1.703	0.094	
			67/3	3.238	0.090	
			66	0.745	0.090	
		कुकरा	107	2.602	0.191	
		कुल योग . .			5.058	

**नोट.**— भूमि का नक्शा एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बरेली, जिला रायसेन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**एस. सी. शुक्ला**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
 खरगोन, दिनांक 1 जुलाई 2011

क्र. 1031-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	भीकनगांव	बिरूल	27.040	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, खरगोन.	मालखेड़ा तालाब योजना के बांध निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु.

**नोट.**— भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**केदार शर्मा**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 2 जुलाई 2011

क्र. दस-भू-अर्जन-फा. 505-प्र. क्र. 13-अ-82-2010-11-3398.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधितों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	सोहागपुर	सिंहपुर	0.877	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2, शहडोल (म. प्र.).	मिटौरी जलाशय की मुख्य नहर एवं उपनहर हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोहागपुर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश में किया जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-फा. 553-प्र. क्र. 14-अ-82-2010-11-3416.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधितों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	सोहागपुर	अंतरा	2.288	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2, शहडोल (म. प्र.).	बंधवा जलाशय योजना की बांयी मुख्य नहर में प्रभावित ग्राम अंतरा के निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोहागपुर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 6 जुलाई 2011

क्र. 2316-भू-अर्जन-11-12-रा. प्र. क्र. अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.:-

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	देहण्डी बडी	2.82	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला झाबुआ (म. प्र.).	माही परियोजना की बडलीपाडा सबमाईनर क्र. 1 के निर्माण हेतु.
			योग . . 2.82		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2318-भू-अर्जन-11-12-रा. प्र. क्र. अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.:-

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	मोईचारणी	2.09	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला झाबुआ (म. प्र.).	माही परियोजना की करनगढ़ माईनर नहर के निर्माण हेतु.
			योग . . 2.09		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र.-2320-भू-अर्जन-11-12-रा. प्र. क्र. अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.:-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	करनगढ़	2.68	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला झाबुआ (म. प्र.).	माही परियोजना की करनगढ़ माईनर नहर के निर्माण हेतु.
			योग . . 2.68		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2322-भू-अर्जन-11-12-रा. प्र. क्र. अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.:-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	गेहण्डी	1.18	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला झाबुआ (म. प्र.).	माही परियोजना की बडलीपाडा सबमाईनर नहर 2 के निर्माण हेतु.
			योग . . 1.18		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2324-भू-अर्जन-11-12-रा. प्र. क्र. अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में

उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.:-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	बोरपाड़ा	1.85	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना	माही परियोजना की करनगढ़
योग . . 1.85				मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला झाबुआ (म. प्र.).	सबमाईनर नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2326-भू-अर्जन-11-12-रा. प्र. क्र. अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.:-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	रामगढ़	0.15	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना	माही परियोजना की बडलीपाडा
योग . . 0.15				मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला झाबुआ (म. प्र.).	सबमाईनर नहर 2 के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2340-भू-अर्जन-11-12-रा. प्र. क्र. अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.:-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	कचनारिया	1.51	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना	माही परियोजना की बडलीपाडा
योग . . 1.51				मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला झाबुआ (म. प्र.).	सबमाईनर नहर 2 के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शोभित जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 6 जुलाई 2011

प्र. क्र. 01-अ-82-वर्ष 2010-11-भू-अर्जन-5050.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	घोड़ाडोंगरी	आमडोह	1.011	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. -2, बैतूल.	बटकी जलाशय के बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन, शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 03-अ-82-वर्ष 2009-10-भू-अर्जन-5051.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	घोड़ाडोंगरी	गोपीनाथपुर	6.173	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. -2, बैतूल.	सालीवाड़ा जलाशय के बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन, शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 3-अ-82-वर्ष 2011-12-भू-अर्जन-5057.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	डोब	34.021	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.	डोब लघु जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 4-अ-82-वर्ष 2011-12-भू-अर्जन-5058.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	सिलादेही	0.337	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.	डोब लघु जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 4 अ-82-वर्ष 2009-10-भू-अर्जन-5052.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	घोड़ाडोंगरी	शांतीपुर	4.242	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2, बैतूल.	सालीवाड़ा जलाशय के बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 5-अ-82-वर्ष 2009-10-भू-अर्जन-5053.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	घोड़ाडोंगरी	सालीवाड़ा	3.700	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2, बैतूल.	सालीवाड़ा जलाशय के बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.



प्र. क्र. 7 अ-82-वर्ष 2009-10-भू-अर्जन-5054.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	घोडाडोंगरी	गोलईखुर्द	1.210	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2, बैतूल.	सालीवाड़ा जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन, शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 08 अ-82-वर्ष 2009-10-भू-अर्जन-5055.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	घोड़ाडोंगरी	सालीवाड़ा	3.401	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2, बैतूल.	सालीवाड़ा जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन, शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 9 अ-82-वर्ष 2009-10-भू-अर्जन-5056.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	घोडाडोंगरी	बटकीडोह	5.580	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2 बैतूल.	बटकी जलाशय के बाघ व नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन, अधिकारी, शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 7 जुलाई 2011

प्र. क्र.-16 अ-82 वर्ष 2010-11-पत्र क्र. 335.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	डोंगरगांव, नं. बं. 196, प. ह. नं. 83/89	42.365	महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. लिमि., गाडरवारा.	सुपर थर्मल पावर (2640 मेगावाट) की स्थापना हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र.-17-अ-82 वर्ष 2010-11-पत्र क्र. 335.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :-

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	कुड़ारी नं. बं. 62 प. ह. नं. 63/89	28.780	महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. लिमि., गाडरवारा.	सुपर थर्मल पावर (2640 मेगावाट) की स्थापना हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र.-18-अ-82 वर्ष 2010-11-पत्र क्र. 335.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :-

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	गांगई नं. बं. 120 प. ह. नं. 64/69	71.538	महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. लिमि., गाडरवारा.	सुपर थर्मल पावर (2640 मेगावाट) की स्थापना हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र.-19-अ-82 वर्ष 2010-11-पत्र क्र. 335.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :-

## अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	चोरबरहटा नं. बं. 153 प. ह. नं. 64/90	216.850	महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. लिमि., गाडरवारा.	सुपर थर्मल पावर (2640 मेगावाट) की स्थापना हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र.-20-अ-82 वर्ष 2010-11-पत्र क्र. 335.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :-

## अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	उमरिया नं. बं. 31 प. ह. नं. 64/90	130.826	महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. लिमि., गाडरवारा.	सुपर थर्मल पावर (2640 मेगावाट) की स्थापना हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र.-21-अ-82 वर्ष 2010-11-पत्र क्र. 335.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :-

## अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	मेहराखेड़ा, नं. बं. 368, प. ह. नं. 64/90	168.384	महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. लिमि., गाडरवारा.	सुपर थर्मल पावर (2640 मेगावाट) की स्थापना हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश	(1)	(2)
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,	121/2	1.583
राजस्व विभाग	121/3	1.400
	121/4	0.560
नरसिंहपुर, दिनांक 28 फरवरी 2011	121/5	0.480
	130	0.620
रा.मा. क्र.-9-अ-82-वर्ष 2010-2011-पत्र क्र. 129/130-	127	0.500
भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो	92/1	1.519
गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि	129	0.200
की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के	132/4, 132/5,	
लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894	132/6, 132/7,	0.500
(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह	132/8	
घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये		
आवश्यकता है :-	92/2	1.519
	93/1	1.200
अनुसूची	91	0.250
(1) भूमि का वर्णन—	78/1	0.150
(क) जिला—नरसिंहपुर	78/2	0.700
(ख) तहसील—गोटेगांव	78/3	0.400
(ग) ग्राम—बम्हनी, प.ह.नं. 91		
(घ) लगभग क्षेत्रफल —16.203 हेक्टर.	योग . .	<u>16.203</u>

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
108/1, 108/2	0.150
122/1	0.518
93/2	1.000
122/2, 123/1,	
124/1, 122/3,	
123/2, 124/2,	1.504
122/4, 123/3,	
124/3, 122/5	
123/4, 124/4	
118/2, 118/6,	
118/7, 118/8,	0.470
118/9, 118/10,	
118/11, 118/12	
118/5	0.480
121/1	0.500

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— बम्हनी जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष, कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विवेक पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश  
एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 8 जून 2011

भू-अर्जन-प्र. क्र. 24-अ-82-10-11-नस्ती क्र. 12-2011-एलए.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की

धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा  
(ख) तहसील—पुनासा  
(ग) ग्राम—धारकवाड़ी  
(घ) अर्जित रकबा—1.54 हेक्टेयर.

खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
2	0.11
3	0.14
4	0.09
8/1	0.04
9/2	0.03
10/1	0.09
10/2	0.06
14/1	0.07
14/2	0.01
51/2	0.29
51/3	0.21
54/1	0.13
54/2	0.11
54/3	0.06
54/4	0.10
योग . .	<u>1.54</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाइन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. 25-अ-82-10-11-नस्ती क्र. 11-2011-एलए.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की

धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा  
(ख) तहसील—पुनासा  
(ग) ग्राम—सातमोहनी  
(घ) अर्जित रकबा—1.13 हेक्टेयर.

खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
18/1	0.09
18/2	0.03
18/3	0.01
20/1	0.18
36	0.04
38/1	0.17
38/2	0.06
41/1	0.09
43	0.08
58	0.14
66	0.04
68	0.13
69	0.07
योग . .	<u>1.13</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाइन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. 26-अ-82-10-11-नस्ती क्र. 17-2011-एलए.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा  
(ख) तहसील—पुनासा

(ग) ग्राम—खैगांव

(घ) अर्जित रकबा—2.05 हेक्टेयर.

खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
281	0.10
282	0.03
283	0.01
284	0.01
285/1	0.02
285/2	0.02
289	0.07
290	0.07
291/4	0.03
291/5	0.03
291/6	0.03
295	0.09
296	0.09
308	0.26
311/1	0.03
311/2	0.03
312	0.01
316	0.05
317	0.04
318	0.01
339/1	0.01
339/5	0.24
342	0.12
343	0.09
344	0.07
354	0.02
355	0.02
356	0.01
357	0.01
361	0.24
363/1	0.03
363/2	0.03
364	0.13
योग . .	<u>2.05</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाइन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. 27-अ-82-10-11-नस्ती क्र. 14-2011-एलए.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा  
(ख) तहसील—पुनासा  
(ग) ग्राम—हरड़ी  
(घ) अर्जित रकबा—2.81 हेक्टेयर.

खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
6	0.06
67	0.21
170	0.15
7/1	0.12
9	0.09
10/2	0.08
10/3	0.15
18/1	0.15
18/2	0.09
19	0.23
22	0.18
24	0.03
62	0.12
171	0.02
141	0.12
148	0.03
154	0.15
165/1	0.09

(1)	(2)	(1)	(2)
166	0.01	87/2	0.140
168	0.13	88/1	0.110
169	0.15	88/2	0.160
172/4	0.12	89/1	0.040
173	0.17	89/2	0.140
175/1	0.04	90/2	0.090
175/2	0.06	91/1	0.070
175/3	0.06	91/3	0.100
योग . .	<u>2.81</u>	95/2	0.030
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत, वितरण पाईप लाइन हेतु.		95/3	0.010
		96	0.130
		103	0.100
		105	0.150
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.		116/2	0.160
		119	0.090
		121/1	0.040
		121/2	0.040
		121/3	0.030
		122/1	0.020
		122/2	0.060
		122/3	0.150
		125/1	0.100
		138	0.190
		139/1	0.040
		142/2	0.050
		182/1	0.090
		182/3	0.080
		183	0.140
		योग . .	<u>3.040</u>
(1) भूमि का वर्णन—		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत, वितरण पाईप लाइन हेतु.	
(क) जिला—खण्डवा		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.	
(ख) तहसील—पुनासा			
(ग) ग्राम—बीड़			
(घ) अर्जित रकबा—3.040 हेक्टेयर.			
खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)		
81/1	0.070		
81/4	0.140		
82/1	0.100		
84/2	0.070		
84/3	0.070		
86/1	0.020		
86/2	0.020		

भू-अर्जन-प्र. क्र. 30-अ-82-10-11-नस्ती क्र. 13-2011-एलए.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.



अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

(1)	(2)
115/1	0.05
115/2	0.07
	योग . . 2.37

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा  
(ख) तहसील—पुनासा  
(ग) ग्राम—फिफरिया  
(घ) अर्जित रकबा—2.37 हेक्टेयर.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत, वितरण पाईप लाइन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1	0.06
2	0.04
3/3	0.10
4	0.07
5	0.10
10	0.24
17/3	0.08
44	0.01
45	0.17
46/1	0.07
46/2	0.08
47/3	0.13
70	0.06
71/1	0.15
72	0.08
73/2	0.08
76/1	0.02
76/3	0.10
77	0.03
79/3	0.05
80	0.05
81	0.16
100	0.07
101/1	0.06
101/2	0.01
104/1	0.01
104/2	0.05
105	0.02
107	0.10

भू-अर्जन-प्र. क्र. 31-अ-82-10-11-नस्ती क्र. 25-2011-एलए.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा  
(ख) तहसील—खण्डवा  
(ग) ग्राम—रिजगांव  
(घ) अर्जित रकबा—2.07 हेक्टेयर.

खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
6/2	0.15
7	0.03
8/1	0.16
19	0.30
20	0.04
22	0.19
28	0.15
289	0.16
295	0.03
297	0.06
298	0.07
299	0.09
300	0.05
301	0.05

(1)	(2)	(1)	(2)
313/2	0.02	648/3	0.11
314	0.02	649	0.19
315	0.04	657	0.07
316	0.04	658	0.06
317	0.04	659	0.10
318	0.09	660/2	0.01
321/1	0.13	00	00
376	0.12		योग . . . 1.32
379	0.04		
00	00		
	योग . . . 2.07		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत, वितरण पाईप लाइन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू.-अर्जन-प्र. क्र. 32-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा  
(ख) तहसील—खण्डवा  
(ग) ग्राम—रनगांव  
(घ) अर्जित रकबा—1.32 हेक्टेयर.

खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
558	0.31
609	0.06
610	0.07
611	0.07
612	0.07
613	0.03
614	0.17

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत, वितरण पाईप लाइन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू.-अर्जन-प्र. क्र. 33-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा  
(ख) तहसील—खण्डवा  
(ग) ग्राम—खुटफल  
(घ) अर्जित रकबा—0.14 हेक्टेयर.

खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
314	0.14
योग . . .	0.14

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत, वितरण पाईप लाइन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश  
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 13 जून 2011

क्र. 6-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके एतद्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा  
(ख) तहसील—विदिशा  
(ग) ग्राम—भियॉखेड़ी  
(घ) क्षेत्रफल—1.209 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
19	0.125
15/1	0.160
15/2	0.111
13/4	0.087
13/5	0.100
13/6	0.090
13/7	0.080
13/44	0.080
12/1	0.230
12/2	0.146
योग . .	1.209

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सम्राट अशोक सागर परियोजना की पीपलखेड़ा की लघु नहर क्रमांक 2, के निर्माण में प्रभावित भूमि का भू-अर्जन बाबत.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का उप खण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 11-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके एतद्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा  
(ख) तहसील—विदिशा  
(ग) ग्राम—लोधाखेड़ी  
(घ) क्षेत्रफल—0.485 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
240/1क	0.290
240/254	0.034
241	0.161
योग . .	0.485

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सम्राट अशोक सागर परियोजना की पीपलखेड़ा की लघु नहर क्रमांक 2, के निर्माण में प्रभावित भूमि का भू-अर्जन बाबत.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का उप खण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 16 जून 2011

प्र. क्र. 105-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894

(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना  
(ख) तहसील—अजयगढ़  
(ग) ग्राम—गुमानगंज  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.08 है.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—  
गुमानगंज तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

पन्ना, दिनांक 25 जून 2011

प्र. क्र. 032-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना  
(ख) तहसील—शाहनगर  
(ग) ग्राम—शहपुरा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.43 है.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
9	0.22	निजी भूमि
10	0.02	निजी भूमि
23	0.08	निजी भूमि
24	0.05	निजी भूमि
37	0.05	निजी भूमि
41	0.03	निजी भूमि
42	0.02	निजी भूमि
43	0.02	निजी भूमि
80	0.06	निजी भूमि
81	0.10	निजी भूमि
82	0.01	निजी भूमि
83	0.06	निजी भूमि
84	0.03	निजी भूमि
89	0.01	निजी भूमि
85	0.03	निजी भूमि
102	0.06	निजी भूमि
233	0.08	निजी भूमि
114	0.02	निजी भूमि

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
644	0.50	निजी भूमि
676	0.26	निजी भूमि
678	0.01	निजी भूमि
717	0.08	निजी भूमि
721	0.13	निजी भूमि
733	0.06	निजी भूमि
734	0.16	निजी भूमि
732	0.02	निजी भूमि
751	0.08	निजी भूमि
754	0.02	निजी भूमि
755	0.04	निजी भूमि
759	0.11	निजी भूमि
760	0.04	निजी भूमि
812	0.03	निजी भूमि
813/1	0.03	निजी भूमि
813/2	0.02	निजी भूमि
813/3	0.03	निजी भूमि
810	0.02	निजी भूमि
803	0.02	निजी भूमि
804	0.02	निजी भूमि
806	0.02	निजी भूमि
791	0.03	निजी भूमि
792	0.05	निजी भूमि
793/1	0.06	निजी भूमि
798/2	0.06	निजी भूमि
845	0.08	निजी भूमि
828	0.04	निजी भूमि
844/1	0.02	निजी भूमि
821	0.04	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि	2.08	

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
115	0.02	निजी भूमि	2729	0.03	निजी भूमि
117	0.06	निजी भूमि	2730	0.05	निजी भूमि
116	0.09	निजी भूमि	2731	0.02	निजी भूमि
155	0.13	निजी भूमि	2732	0.03	निजी भूमि
234	0.10	निजी भूमि	2738	0.01	निजी भूमि
319	0.08	निजी भूमि	2739	0.01	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . . 1.43			2733	0.04	निजी भूमि
			2734	0.03	निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—			2981	0.01	निजी भूमि
जुगरवारा तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर			2986	0.02	निजी भूमि
निर्माण हेतु.			2987	0.02	निजी भूमि
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय,			2735	0.06	निजी भूमि
पन्ना में किया जा सकता है.			2736	0.04	निजी भूमि
			2737	0.04	निजी भूमि
प्र. क्र. 066-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को			2984	0.07	निजी भूमि
यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित			2985	0.09	निजी भूमि
भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन			2970	0.12	निजी भूमि
के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894			2971	0.05	निजी भूमि
(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया			2983	0.06	निजी भूमि
जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—			2972	0.04	निजी भूमि
			2973	0.04	निजी भूमि
			2976	0.07	निजी भूमि
			2977	0.06	निजी भूमि
			2978	0.06	निजी भूमि
			2979	0.04	निजी भूमि
			2974	0.14	निजी भूमि
			3026	0.01	निजी भूमि
			3027	0.23	निजी भूमि
			3028	0.06	निजी भूमि
			3029	0.26	निजी भूमि
			3031	0.10	निजी भूमि
			3032	0.01	निजी भूमि
			3033	0.02	निजी भूमि
			3034	0.03	निजी भूमि
			3035	0.10	निजी भूमि
			3051	0.08	निजी भूमि
			3040	0.09	निजी भूमि
			3041	0.04	निजी भूमि
			3042	0.04	निजी भूमि
			3043	0.07	निजी भूमि
			3108	0.02	निजी भूमि

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना  
(ख) तहसील—शाहनगर  
(ग) ग्राम—महिलवारा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.16 है.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)	भूमि का प्रकार	(1)	(2)	(3)
(1)	(2)	(3)	3029	0.26	निजी भूमि
1722	0.05	निजी भूमि	3031	0.10	निजी भूमि
1723	0.10	निजी भूमि	3032	0.01	निजी भूमि
1731	0.06	निजी भूमि	3033	0.02	निजी भूमि
1727	0.03	निजी भूमि	3034	0.03	निजी भूमि
1728	0.06	निजी भूमि	3035	0.10	निजी भूमि
1729	0.04	निजी भूमि	3051	0.08	निजी भूमि
1730	0.05	निजी भूमि	3040	0.09	निजी भूमि
3049	0.01	निजी भूमि	3041	0.04	निजी भूमि
3050	0.07	निजी भूमि	3042	0.04	निजी भूमि
2727	0.01	निजी भूमि	3043	0.07	निजी भूमि
2728	0.02	निजी भूमि	3108	0.02	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
3112	0.04	निजी भूमि	512	0.04	निजी भूमि
3113	0.04	निजी भूमि	515	0.04	निजी भूमि
3114	0.06	निजी भूमि	513	0.06	निजी भूमि
3115	0.03	निजी भूमि	514	0.04	निजी भूमि
3116	0.05	निजी भूमि	521/1	0.01	निजी भूमि
3119	0.03	निजी भूमि	521/2	0.02	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . . . 3.16			524	0.05	निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—लिपरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.			522/1	0.02	निजी भूमि
			522/2	0.09	निजी भूमि
			523	0.13	निजी भूमि
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.			527	0.08	निजी भूमि
			537	0.08	निजी भूमि
			537	0.08	निजी भूमि
प्र. क्र. 070-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—			538	0.13	निजी भूमि
			541	0.02	निजी भूमि
			519	0.01	निजी भूमि
			571/1	0.02	निजी भूमि
			573	0.08	निजी भूमि
			661	0.20	निजी भूमि
			662	0.14	निजी भूमि
			663/1	0.01	निजी भूमि
(1) भूमि का वर्णन—			663/2	0.02	निजी भूमि
(क) जिला—पन्ना			663/3	0.01	निजी भूमि
(ख) तहसील—शाहनगर			664	0.17	निजी भूमि
(ग) ग्राम—पिपरिया ज्योतिषी			670	0.07	निजी भूमि
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.63 है.			671	0.01	निजी भूमि
खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)	भूमि का प्रकार	672	0.06	निजी भूमि
(1)	(2)	(3)	673	0.16	निजी भूमि
200	0.24	निजी भूमि	674	0.15	निजी भूमि
575	0.05	निजी भूमि	685	0.14	निजी भूमि
207	0.01	निजी भूमि	686/1	0.17	निजी भूमि
574	0.03	निजी भूमि	506/1	0.01	निजी भूमि
208	0.12	निजी भूमि	688	0.06	निजी भूमि
494	0.06	निजी भूमि	734	0.01	निजी भूमि
495	0.02	निजी भूमि	737	0.12	निजी भूमि
507	0.13	निजी भूमि	736	0.10	निजी भूमि
509/2	0.34	निजी भूमि	756	0.01	निजी भूमि
510	0.10	निजी भूमि	757	0.01	निजी भूमि
518	0.13	निजी भूमि	758	0.01	निजी भूमि
511	0.06	निजी भूमि	760	0.20	निजी भूमि
517/1	0.05	निजी भूमि	771	0.17	निजी भूमि
				0.01	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
785	0.07	निजी भूमि	785	0.06	निजी भूमि
786	0.20	निजी भूमि	786	0.04	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	4.63		787	0.04	निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—			788	0.02	निजी भूमि
लिपरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु,			799	0.06	निजी भूमि
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय,			789	0.06	निजी भूमि
पन्ना में किया जा सकता है.			2343	0.05	निजी भूमि
प्र. क्र. 073-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को			800	0.03	निजी भूमि
यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित			802	0.08	निजी भूमि
भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन			805	0.08	निजी भूमि
के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894			806	0.02	निजी भूमि
(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया			807	0.03	निजी भूमि
जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—			809	0.03	निजी भूमि
			2366	0.07	निजी भूमि
			2367	0.02	निजी भूमि
			2368	0.03	निजी भूमि
			2380	0.02	निजी भूमि
			2369	0.04	निजी भूमि
			2362	0.08	निजी भूमि
			2453	0.08	निजी भूमि
			2363	0.06	निजी भूमि
			2454	0.03	निजी भूमि
			2364	0.03	निजी भूमि
			2456	0.08	निजी भूमि
			2473	0.08	निजी भूमि
			2474	0.08	निजी भूमि
			2482	0.05	निजी भूमि
			2485	0.06	निजी भूमि
			2491	0.04	निजी भूमि
			2494	0.07	निजी भूमि
			2498	0.08	निजी भूमि
			2500	0.08	निजी भूमि
			2501	0.11	निजी भूमि
			2502	0.03	निजी भूमि
			कुल रकबा निजी भूमि . .	2.80	
			(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—		
			लिपरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.		
			(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय,		
			पन्ना में किया जा सकता है.		

प्र. क्र. 102-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना  
(ख) तहसील—अजयगढ़  
(ग) ग्राम—सिमराकला  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.03 है.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
02/1	0.52	निजी भूमि
3	0.16	निजी भूमि
5	0.15	निजी भूमि
6	0.08	निजी भूमि
7/1	0.36	निजी भूमि
17	0.52	निजी भूमि
18	0.24	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि	2.03	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—  
बिलाही तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 104-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना  
(ख) तहसील—अजयगढ़

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
91	0.10	निजी भूमि
92	0.06	निजी भूमि
465/2ख	1.03	निजी भूमि
121	0.05	निजी भूमि
122	0.06	निजी भूमि
355	3.07	निजी भूमि
359	2.66	निजी भूमि
381	0.10	निजी भूमि
360	0.73	निजी भूमि
362/1	1.00	निजी भूमि
363	0.23	निजी भूमि
364	0.49	निजी भूमि
361	3.00	निजी भूमि
367	0.61	निजी भूमि
369/1	0.20	निजी भूमि
371	0.74	निजी भूमि
372	0.08	निजी भूमि
373/1	0.43	निजी भूमि
350/429	0.48	निजी भूमि
450/430	1.39	निजी भूमि
350/431	0.35	निजी भूमि
350	0.02	निजी भूमि
362/2	1.12	निजी भूमि
381/419 क	0.36	निजी भूमि
362/3	1.12	निजी भूमि
381/419 ख	0.40	निजी भूमि
362/4	1.12	निजी भूमि
354	0.28	निजी भूमि
353	0.07	निजी भूमि
378	0.20	निजी भूमि
16	0.16	निजी भूमि
41	0.18	निजी भूमि
45	0.10	निजी भूमि
46	0.15	निजी भूमि
47	0.06	निजी भूमि
68	0.10	निजी भूमि
70	0.06	निजी भूमि
71	0.04	निजी भूमि
47/418	0.06	निजी भूमि
394/2	0.06	निजी भूमि



(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
395	0.06	निजी भूमि	628	0.34	निजी भूमि
463	0.94	निजी भूमि	629	0.33	निजी भूमि
462	0.62	निजी भूमि	कुल रकबा निजी भूमि . .	<u>2.04</u>	
461	2.00	निजी भूमि			
462/2क	0.40	निजी भूमि			
कुल रकबा निजी भूमि . .	<u>26.54</u>				

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—  
बिलाही तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय,  
पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 107-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना  
(ख) तहसील—अजयगढ़  
(ग) ग्राम—मझगाँव  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.04 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
597	0.14	निजी भूमि
958	0.29	निजी भूमि
613/1	0.01	निजी भूमि
614/1	0.05	निजी भूमि
626/1ग	0.06	निजी भूमि
624/1	0.16	निजी भूमि
624/2	0.16	निजी भूमि
624/3	0.16	निजी भूमि
624/4	0.16	निजी भूमि
626/1क	0.06	निजी भूमि
626/1ख	0.06	निजी भूमि
626/1घ	0.06	निजी भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—  
बरहेपुर तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय,  
पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 109-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना  
(ख) तहसील—अजयगढ़  
(ग) ग्राम—पड़रहा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—28.072 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
882/1ख	0.182	निजी भूमि
882/1घ	1.00	निजी भूमि
883/2	0.50	निजी भूमि
884	0.28	निजी भूमि
885/1	0.49	निजी भूमि
885/2	0.28	निजी भूमि
886/1	0.27	निजी भूमि
955/2	0.50	निजी भूमि
888	0.02	निजी भूमि
905	0.06	निजी भूमि
907	2.54	निजी भूमि
908	0.67	निजी भूमि
909	0.31	निजी भूमि
911	0.73	निजी भूमि
915	0.53	निजी भूमि
923	0.21	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.		
924/3	0.11	निजी भूमि	प्र. क्र. 111-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—		
925/1घ	0.15	निजी भूमि			
944/3	0.05	निजी भूमि			
910	0.67	निजी भूमि			
913	0.20	निजी भूमि			
914	0.65	निजी भूमि			
925/1A	0.15	निजी भूमि			
944/1	0.04	निजी भूमि			
925/1B	0.16	निजी भूमि			
944/2	0.05	निजी भूमि			
925/2	1.20	निजी भूमि			
926	0.02	निजी भूमि			
943	0.12	निजी भूमि			
945	1.00	निजी भूमि			
946/2	1.98	निजी भूमि			
947/2	0.18	निजी भूमि			
973	3.74	निजी भूमि			
948/1	0.06	निजी भूमि			
949/1	2.09	निजी भूमि			
948/2	0.06	निजी भूमि			
949/2	2.09	निजी भूमि			
974/1	0.74	निजी भूमि			
974/2	0.74	निजी भूमि			
838	0.16	निजी भूमि			
837	0.02	निजी भूमि			
812	0.18	निजी भूमि			
814	0.13	निजी भूमि			
823/1क	0.31	निजी भूमि			
823/2ख	0.18	निजी भूमि			
955/1	0.50	निजी भूमि			
951/1	0.20	निजी भूमि			
946/1	1.45	निजी भूमि			
947/1	0.07	निजी भूमि			
972/2	0.05	निजी भूमि			
कुल रकबा निजी भूमि . . .		28.072			
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—					
बरहेपुर तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.					
			खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
			(1)	(2)	(3)
			529/1	0.58	निजी भूमि
			529/2	0.57	निजी भूमि
			530	0.45	निजी भूमि
			532/1	0.88	निजी भूमि
			532/2	0.88	निजी भूमि
			532/3	0.88	निजी भूमि
			532/4	1.70	निजी भूमि
			532/5	1.30	निजी भूमि
			533/1	0.63	निजी भूमि
			533/2	0.60	निजी भूमि
			534	0.89	निजी भूमि
			537	0.31	निजी भूमि
			538	0.04	निजी भूमि
			539	0.37	निजी भूमि
			540	0.14	निजी भूमि
			541	0.04	निजी भूमि
			542	0.25	निजी भूमि
			543	0.24	निजी भूमि
			544	0.03	निजी भूमि
			545	0.44	निजी भूमि
			546	0.02	निजी भूमि
			549	0.04	निजी भूमि
			529/3	0.17	निजी भूमि
			528	0.26	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—	
527/1	0.12	निजी भूमि	अनुसूची (1) भूमि का वर्णन— (क) जिला—झाबुआ (ख) तहसील—पेटलावद (ग) ग्राम—छायनपूर्व (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.22 हेक्टर.  निजी भूमि सर्वे नम्बर रकबा (हेक्टर में) (1) (2)	
524	0.10	निजी भूमि		
561	0.12	निजी भूमि		
527/2	0.11	निजी भूमि		
525/1	0.12	निजी भूमि		
562/1	0.06	निजी भूमि		
525/2	0.12	निजी भूमि		
562/2	0.06	निजी भूमि		
553/1	0.15	निजी भूमि		
570/1	0.06	निजी भूमि		
553/2	0.15	निजी भूमि		
570/2	0.06	निजी भूमि		
553/3	0.15	निजी भूमि		
556/1	0.06	निजी भूमि		
570/3	0.06	निजी भूमि		
553/4	0.15	निजी भूमि	306	0.02
556/2	0.06	निजी भूमि	433	0.06
570/4	0.06	निजी भूमि	436	0.08
583/1	0.32	निजी भूमि	446	0.11
583/2	0.12	निजी भूमि	452	0.05
582	0.12	निजी भूमि	456	0.08
कुल रकबा निजी भूमि . .	14.04		457	0.32
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— चुनगुना तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.			720	0.15
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.			733	0.10
			734	0.02
			735	0.02
			736	0.03
			738	0.18
			योग . .	1.22

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**धनंजय सिंह**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 22 जून 2011

क्र. 2055-भू-अर्जन-2011-रा. प्र. क्र. . . अ-82-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः

क्र. 2057-भू-अर्जन-2011-रा. प्र. क्र. . . अ-82-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ  
(ख) तहसील—पेटलावद

(ग) ग्राम—छायनपूर्व	(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.95 हेक्टर.	801	0.02
निजी भूमि	803/1	0.34
	803/2	0.15
सर्वे नम्बर	804	0.32
(1)		योग . . . 5.95

(1)	रकबा (हेक्टर में)
109	0.16
110	0.10
113/1	0.18
114	0.05
116	0.13
118	0.13
123	0.04
124	0.03
202	0.03
203	0.10
204	0.14
209/1	0.18
209/2	0.17
210	0.03
212	0.02
215	0.10
217/1	0.10
228	0.04
229	0.16
230	0.30
575	0.09
576	0.05
577	0.13
579	0.15
631	0.12
632	0.16
633	0.22
789	1.00
792	0.15
793	0.10
796/2	0.15
798/2	0.10
799	0.10
800/1	0.20
800/2	0.20

झाबुआ, दिनांक 5 जुलाई 2011

क्र. 2310-भू-अर्जन-2011-रा. प्र. क्र. . . अ-82-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ
- (ख) तहसील—पेटलावद
- (ग) ग्राम—रूणजी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—4.85 हेक्टर.

### निजी भूमि

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
11	0.07
12	0.20
13	0.02
17	0.03
25	0.03
26	0.06
27	0.07
28	0.10
29	0.01
30	0.05
31	0.05
32	0.18
33	0.07
38	0.18
40	0.07
41	0.09

(1)	(2)	(1)	(2)
42	0.03	737	0.02
45	0.07	744	0.29
90	0.8	696	0.11
91	0.06		
92	0.01		योग . . . <u>4.85</u>
102	0.07	झाबुआ, दिनांक 6 जुलाई 2011	
103	0.02		
106	0.02	क्र. 2312-भू-अर्जन-2011-रा. प्र. क्र. . . अ-82-2011.—चूँकि,	
107	0.03	राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई	
175	0.03	अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में	
177	0.11	उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-	
178	0.20	अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के	
180	0.10	अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की	
181/1	0.01	उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—	
181/2	0.02		
181/3	0.01	अनुसूची	
182	0.01		
183	0.10	(1) भूमि का वर्णन—	
187	0.03	(क) जिला—झाबुआ	
188	0.06	(ख) तहसील—पेटलावद	
189	0.19	(ग) ग्राम—घुघरी	
564	0.10	(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.68 हेक्टर.	
566	0.09		
568	0.05	निजी भूमि	
641	0.12	सर्वे नम्बर	रकबा
642	0.08		(हेक्टर में)
643	0.03	(1)	(2)
645	0.23	125	0.07
646	0.10	126	0.16
653/1	0.10	130	0.06
653/2	0.03	131	0.05
658	0.11	132	0.05
661	0.05	133	0.06
695	0.05	168	0.10
695	0.03	171	0.19
671	0.04	173	0.16
672	0.03	175	0.04
675	0.15	176	0.02
694	0.07	179	0.25
733	0.24	182	0.06
732	0.03	449	0.15
734	0.02	450/1	0.10
735	0.01	450/2	0.10
736	0.13	450/3	0.08

(1)	(2)	(ग) ग्राम—केशरपुरा	(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.01 हेक्टर.
1011	0.03		
1012/1	0.03		
1012/2	0.08		
1025	0.16		
1028	0.06		
1029	0.05		
1030	0.12		
1033	0.10		
1034	0.12		
1035	0.15		
1037	0.12		
1039/1	0.11		
1039/2	0.12		
1040	0.30		
1483	0.09		
1803	0.10		
1804/1	0.08		
1804/2	0.14		
1810	0.17		
1811	0.04		
1818	0.20		
1828	0.26		
1829	0.02		
1832	0.13		
1835	0.12		
2070	0.02		
2071	0.06		
	योग . .		
	<u>4.68</u>		

क्र. 2314-भू-अर्जन-2011-रा. प्र. क्र. . . .अ-82-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ  
(ख) तहसील—पेटलावद

निजी भूमि	
सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
185	0.15
187	0.14
189	0.10
230	0.05
232	0.01
228	0.28
227/2	0.02
227/1	0.07
225	0.08
223	0.01
221	0.10
योग . .	<u>1.01</u>

क्र. 2328-भू-अर्जन-2011-रा. प्र. क्र. . . .अ-82-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ  
(ख) तहसील—पेटलावद  
(ग) ग्राम—मोहनपुरा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.04 हेक्टर.

#### निजी भूमि

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1063	0.05
1066	0.11
1076	0.48
1077/1	0.03

(1)	(2)	(1)	(2)
1077/2	0.08	66/2	0.05
1082/4	0.06	71	0.01
1082/5	0.08	74/1	0.06
1083	0.50	77	0.18
1094	0.08	78	0.02
1095	0.09	80/2	0.02
1097	0.33	84	0.08
1098	0.11	85	0.06
1099	0.04	86/1	0.02
	योग . . .	86/2	0.03
		89	0.15
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—माही परियोजना की उम्मेदपुरा नहर के निर्माण होने से ग्राम मोहनपुरा की निजी भूमि का कुल रकबा 2.04 हेक्टेयर है.		127/1	0.18
		127/2	0.016
		127/3	0.13
		131	0.01
		132	0.13
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.		133	0.01
		141	0.04
		142	0.02
		144	0.03
क्र. 2330-भू-अर्जन-2011-रा. प्र. क्र. . . .अ-82-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—		146	0.05
		61	0.02
		106	0.01
		105	0.21
		143	0.02
		147	0.01
		योग . . .	2.20

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ  
(ख) तहसील—पेटलावद  
(ग) ग्राम—हिण्डोलाबावडी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.20 हेक्टर.

### निजी भूमि

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
63	0.20
64	0.10
66/1	0.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—माही परियोजना की उम्मेदपुरा नहर के निर्माण होने से ग्राम हिण्डोलाबावडी की निजी भूमि का कुल रकबा 2.20 हेक्टेयर है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2332-भू-अर्जन-2011-रा. प्र. क्र. . . .अ-82-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के

अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

(1) (2)

27 0.02

## अनुसूची

29 0.02

(1) भूमि का वर्णन—

योग . . . 0.11

(क) जिला—झाबुआ

(ख) तहसील—पेटलावद

(ग) ग्राम—हवारुण्डा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.12 हेक्टर.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—माही परियोजना की उम्मेदपुरा नहर के निर्माण होने से ग्राम बैगनबर्डी की निजी भूमि का कुल रकबा 0.11 हेक्टेयर है.

## निजी भूमि

सर्वे नम्बर

रकबा  
(हेक्टर में)

(1)

(2)

9/1

0.05

9/4

0.07

योग . . . 0.12

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—माही परियोजना की उम्मेदपुरा नहर के निर्माण होने से ग्राम हवारुण्डा की निजी भूमि का कुल रकबा 0.12 हेक्टेयर है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2336-भू-अर्जन-2011-रा. प्र. क्र. . . अ-82-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—झाबुआ

(ख) तहसील—पेटलावद

(ग) ग्राम—उम्मेदपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.19 हेक्टर.

क्र. 2334-भू-अर्जन-2011-रा. प्र. क्र. . . अ-82-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—झाबुआ

(ख) तहसील—पेटलावद

(ग) ग्राम—बैगनबर्डी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.11 हेक्टर.

सर्वे नम्बर

रकबा  
(हेक्टर में)

(1)

(2)

36

0.03

37

0.02

47

0.09

51/1

0.06

51/2

0.10

52

0.17

55

0.05

56

0.12

57

0.02

58

0.08

## निजी भूमि

सर्वे नम्बर

रकबा  
(हेक्टर में)

(1)

(2)

7

0.06

8/2

0.01



(1)	(2)	(1)	(2)
63	0.01	34	0.19
64	0.16	40	0.09
68	0.13	41	0.03
71	0.15	44	0.10
	योग . . .	50	0.17
		79	0.22
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—माही परियोजना की उम्मेदपुरा नहर के निर्माण होने से ग्राम उम्मेदपुरा की निजी भूमि का कुल रकबा 1.19 हेक्टेयर है.		81	0.02
		83	0.11
		84	0.10
		85	0.15
		94	0.05
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.		95	0.06
		96	0.28
		109	0.08
		110	0.01
		111	0.04
क्र. 2338-भू-अर्जन-2011-रा. प्र. क्र. . . .अ-82-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—		112	0.24
		113	0.01
		116	0.10
		117	0.05
		119	0.02
		120	0.05
		121	0.05
		191	0.12
		195	0.06
		199	0.02
		200	0.05
		202	0.15
		203	0.05
		योग . . .	3.81

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—झाबुआ

(ख) तहसील—पेटलावद

(ग) ग्राम—छावनी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.81 हेक्टर.

#### निजी भूमि

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
2	0.20
3/4	0.15
3/5	0.10
3/6	0.09
3/7	0.10
11	0.19
14	0.10
32	0.11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—माही परियोजना की उम्मेदपुरा नहर के निर्माण होने से ग्राम छावनी की निजी भूमि का कुल रकबा 3.81 हेक्टेयर है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2342-भू-अर्जन-2011-रा. प्र. क्र. . . .A-82-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-

अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ  
(ख) तहसील—पेटलावद  
(ग) ग्राम—भील कोटड़ा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.20 हेक्टर.

### निजी भूमि

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
563	0.20
योग . .	0.20

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**शोभित जैन**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 23 जून 2011

क्र. 985-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन की अति आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त इन्दौर, संभाग इंदौर के पत्र क्रमांक 207-5-कोर्ट-11, दिनांक 7 मार्च 2011 से अधिनियम की धारा 17(1) सह 17(4) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन  
(ख) तहसील—बड़वाह

(ग) ग्राम—टोकी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.518 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
12/3	0.506
13/2	0.182
13/1	0.081
48	0.263
31/2	0.041
14/2	0.445
योग . .	1.518

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बड़वाह-सनावद बायपास मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन/ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह तथा संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड, ओल्ड पलासिया, इन्दौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**अशोक कुमार शर्मा**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 24 जून 2011

क्र. 09-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—कटनी  
(ख) तहसील—कटनी

- (ग) ग्राम—कैलवारा खुर्द, प.ह.नं. 29  
(घ) लगभग क्षेत्रफल— 4.04 हेक्टर

है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

### अनुसूची

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
582/1	0.57
582/2	0.66
582/3	0.07
583/2	0.03
584/1	0.17
584/2	0.64
584/3	0.30
585/1ख	0.21
585/2	0.53
586/2	0.28
585/3	0.28
586/4	0.32
585/4	0.32
586/5	0.26
585/5	0.26
586/6	0.26
योग . . .	4.04

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—मनावर  
(ग) नगर/ग्राम—पटवार

पूर्व में प्रकाशित सर्वे क्रमांक एवं रकबा (1)	संशोधित सर्वे क्रमांक एवं रकबा (2)
57/1/275—1000 वर्गमीटर	57/1/3ग—1000 वर्गमीटर

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सरदार सरोवर परियोजना (अन्तर्राज्य प्रोजेक्ट) अंतर्गत पुनर्वास स्थल के पहुंच मार्ग के लिए.

**नोट**—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि., न.घा.वि.प्रा., मानजोबट परियोजना संभाग, कुक्षी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मनावर, दिनांक 30 जून 2011

क्र. 08-अ-82-2010-11-भू-अर्जन-2011-903-**संशोधन**.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पूर्व में धारा 6 का प्रकाशन राजपत्र के पृष्ठ क्रमांक 1637-38, दिनांक 13 मई 2011 एवं दैनिक समाचार-पत्र “स्वदेश” दिनांक 13 मई 2011 एवं “प्रभातकिरण” में दिनांक 13 मई 2011 को किया गया था. संशोधन अनुसार निम्नानुसार पढ़ा जावे.

अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—मनावर  
(ग) नगर/ग्राम—अजंदा (पूरक)

पूर्व में प्रकाशित सर्वे क्रमांक एवं रकबा (1)	संशोधित सर्वे क्रमांक एवं रकबा (2)
कुल रकबा 18,779 हेक्टर सर्वे नं. 370/1, रकबा 0.140 हेक्टर. सर्वे नं. 441/3/2/3, रकबा 1.56 हेक्टर.	कुल रकबा 18.775 हेक्टर सर्वे नं. 37/1, रकबा 0.140 हेक्टर. सर्वे नं. 441/3/2/3, रकबा 0.156 हेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मनावर, दिनांक 25 जून 2011

क्र. 05-अ-82-2009-10-भू-अर्जन-2011-860-**संशोधन**.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—ओंकारेश्वर परियोजना के तृतीय चरण अंतर्गत नहर निर्माण से प्रभावित.

**नोट**—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक 30, मनावर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 908-वाचक-प्र.क्र. 13-अ-82-2010-2011-**संशोधन**.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, संशोधित अधिसूचना इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—मनावर  
(ग) ग्राम—रणगांव पूरक  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.851 हेक्टर.

पूर्व में प्रकाशित सर्वे नंबर	रकबा (हे. में)	संशोधित सर्वे नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(1)	(2)
196/2	0.220	196/1/3	0.220
योग . .	<u>0.220</u>	योग . .	<u>0.220</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 116530 मी. से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटी क्र. 11 की उप नहर के बीच नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**बी. एम. शर्मा**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 30 जून 2011

प्र.क्र. 6-अ-82-2010-11-क्र. 1209-भू-अर्जन-नहर-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी  
(ख) तहसील—बड़वानी  
(ग) ग्राम—कस्बा बड़वानी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—16.941 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
115, 116	1.748
137, 138, 141, 142	2.631
139/1, 140	0.008
139/2, 139/5	0.182
139/3	1.238
139/4	1.662
156/1	0.461
156/2	1.153
156/3	0.202
156/4	0.700
156/5	1.760
156/6	0.425
158/2, 159/1	0.615
161/1, 161/2	0.008
163/1	0.720
163/2	1.000
165/4	0.040
165/5	0.405
167, 168/2, 168/3,	1.983
169/1, 169/3	
योग . .	<u>16.941</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.	(1)	(2)
	450/1	0.42
	447/1	0.16
<b>नोट</b> —भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला बड़वानी के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.	444/1	0.10
	444/2	0.10
	444/3	0.08
	473/1	0.73
	481	0.61
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, <b>संतोष मिश्र</b> , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.		योग . . . 3.05

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 2 जुलाई 2011

क्र. . . . क-प्र.भू.-अर्जन-4 अ-82-वर्ष-09-10-5332.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—अशासकीय भूमि का अर्जन.

- (क) जिला—सागर  
(ख) तहसील—सागर  
(ग) ग्राम—मिड़वासा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल —3.05 हेक्टेयर.

खसरा नं. (में से)	अर्जित रकबा (हे. में.)
(1)	(2)
471/1	0.06
469	0.08
468	0.08
464	0.24
457/2	0.17
458	0.03
	0.20
452	0.08
451/3	0.11

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है.—छोटी रानगिर जलाशय के डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**ई. रमेश कुमार**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उमरिया, दिनांक 2 जुलाई 2011

क्र. 3112-भू-अर्जन-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उमरिया  
(ख) तहसील—पाली  
(ग) नगर/ग्राम—सलैया  
(घ) लगभग क्षेत्रफल —7.920 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेर में.)
(1)	(2)
49	0.073

(1)	(2)	(1)	(2)
50	0.061	223	0.025
53	0.109	229	0.073
55/1	0.012	244	0.008
60	0.109	245	0.004
63	0.109	246	0.030
73/1ग	0.030	247	0.032
79	0.081	254	0.061
80	0.021	255	0.162
82	0.061	256	0.101
86	0.180	279	0.073
87	0.021	280	0.081
88	0.041	280	0.016
89	0.061	288	0.141
91	0.162	290	0.061
92	0.166	300	0.085
141	0.161	302	0.158
143	0.092	303	0.085
145	0.033	304	0.088
148	0.121	305	0.113
149	0.160	306	0.263
150	0.021	307	0.073
152/1	0.061	317	0.168
176	0.101	317	0.132
177	0.182	318	0.021
179	0.097	319	0.101
180/1	0.020	322	0.490
183/1	0.035	322	0.389
184	0.012	323	0.141
187	0.283	327	0.324
188	0.008	329	0.008
190	0.234	375	0.132
191/1	0.025	387/1	0.214
198	0.004	474	0.306
199	0.021	621	0.057
200	0.041	623	0.012
201	0.020	624	0.020
202	0.004		
203	0.081		
204	0.081		
208	0.041		
209	0.012		
210	0.162		
212	0.129		
213	0.012		
214	0.121		
			योग . . . <u>7.920</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बरूहा जलाशय योजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पाली, जिला उमरिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उमरिया, जिला उमरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3112-भू-अर्जन-अ-82-2010-11.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उमरिया

(ख) तहसील—पाली

(ग) नगर/ग्राम—मेढकी

(घ) लगभग क्षेत्रफल —8.036 हेक्टर.

खसरा नं.

रकबा  
(हेक्टर में.)

(1)

(2)

		(1)	(2)
		147	0.194
		148/1	0.040
		148/3	0.073
		166	0.028
		167	0.03
		175	0.03
		176	0.024
		183/1	0.073
		183/2	0.073
		187	0.121
		196	0.032
		198	0.012
		198	0.012
		199	0.041
		199	0.041
		211	0.045
		228	0.061
		232	0.061
		234	0.153
		278	0.101
		279	0.032
		280	0.223
		281	0.012
		285	0.008
		286	0.070
		287	0.033
		314/1	0.048
		321	0.032
		322	0.030
		323	0.032
		326/1	0.133
		333	0.045
		334	0.008
		335	0.008
		375	0.178
		376	0.012
		377	0.008
		384/1	0.315
		439	0.142
		440	0.161
		447	0.221

(1)	(2)
489	0.093
491	0.069
492	0.065
493	0.076
495	0.012
504	0.048
506	0.283
507/1	0.105
509	0.101
510	0.405
521	0.021
535	0.15
536	0.008
537	0.13
540	0.012
590	0.077
592	0.121
594	0.117
596/1	0.129
597	0.219
योग . .	<u>8.036</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बरूहा जलाशय योजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पाली, जिला उमरिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उमरिया, जिला उमरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**एन. एस. भटनागर**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 6 जुलाई 2011

प्र. क्र. 4-अ-82-10-11-2004.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि संपत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत,

इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है राज्य शासन का यह भी निर्देश है कि उक्त धारा 5 का के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) एवं (4) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होंगे :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—दमोह  
(ख) तहसील—पथरिया  
(ग) ग्राम—कुमेरिया, सरखड़ी, देवरान  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.21, 0.27, 0.26=0.74 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अधिग्रहण किये जाने वाला रकबा (हे. में)
(1)	(2)

#### ग्राम-कुमेरिया

77/1 में से	0.04
78/1 में से	0.06
81 में से	0.04
83/1 में से	0.07
योग . .	<u>0.21</u>

#### ग्राम-सरखड़ी

452 में से	0.04
454 में से	0.07
455/1 में से	0.03
518 में से	0.05
517/1 में से	0.04
519/1 में से	0.04
योग . .	<u>0.27</u>

#### ग्राम-देवरान

279 में से	0.05
280 में से	0.06
281 में से	0.04
325 में से	0.05
348 में से	0.06
योग . .	<u>0.26</u>
कुल योग . .	<u>0.74</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत सागर, दमोह कार्य के उन्नयन कार्य हेतु.



(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व दमोह एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेन्ट कार्यों. सागर, तहसील परिसर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 7-अ-82-10-11-2004.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि संपत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है राज्य शासन का यह भी निर्देश है कि उक्त धारा 5 का के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) एवं (4) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होंगे :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—दमोह  
(ख) तहसील—दमोह  
(ग) ग्राम—कोरासा, पड़रिया  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.30, 0.22=0.52 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर      अधिग्रहण किये जाने वाला  
रकबा (हे. में)

(1)	(2)
<b>ग्राम—कोरासा</b>	
78 में से	0.02
95 में से	0.13
277 में से	0.01
278 में से	0.05
279 में से	0.04
281/1 में से	0.05
योग . .	0.30
<b>ग्राम—पड़रिया</b>	
126 में से	0.03
137 में से	0.02
136/1 में से	0.01
138/2 में से	0.01
139 में से	0.01
194 में से	0.14
योग . .	0.22
कुल योग . .	0.52

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—  
बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत सागर, दमोह कार्य के उन्नयन कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व दमोह एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेन्ट कार्यों. सागर, तहसील परिसर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**शिवानंद दुबे**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 6 जुलाई 2011

प्र. क्र. 01-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर  
(ख) तहसील—नौगांव  
(ग) ग्राम—सिंहपुर, प.ह.नं. 69  
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि —1.500 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1653/1	0.240
1654/1	0.050
1685/1	0.184
1686/1	0.246
1745/1	0.311
1745/2	0.076
1745/3	0.076
1745/4	0.052
1745/5	0.052
1745/6	0.052

(1)	(2)
1748/1	0.032
1748/2	0.068
1748/3	0.032
1748/4	0.020
1748/5	0.009
योग . .	<u>1.500</u>

### 1586/1 म.प्र. शासन आबादी (मकान)

1. नत्थू पिता हल्का ढीमर	29.45 वर्ग मी. (खपरैल)
2. मनप्यारे पिता नत्थू ढीमर	43.80 वर्ग मी. (खपरैल)
3. मइयादीन पिता नत्थू	61.25 वर्ग मी. (खपरैल)
4. रामचरन पिता मुलुवा काछी	71.55 वर्ग मी. (खपरैल)
5. काशीराम पिता लच्छू काछी	25.56 वर्ग मी. (खपरैल)
6. हर प्रसाद पिता लच्छू काछी	18.36 वर्ग मी. (खपरैल)
7. अर्जुन पिता मुलुवा काछी	17.82 वर्ग मी. (खपरैल)
8. नन्दी पिता गनेशा काछी	22.10 वर्ग मी. (खपरैल)
9. हल्काई पिता मुलुवा काछी	48.30 वर्ग मी. (खपरैल)
10. जागेश्वर पिता किशना बसोर	16.32 वर्ग मी. (पक्का)
11. किशना पिता सरजू बसोर	50.40 वर्ग मी. (खपरैल)
12. मदन पिता बाबू लाल बसोर	25.92 वर्ग मी. (खपरैल)
13. मातादीन पिता सरजू बसोर	23.36 (खपरैल)
	+29.355 वर्ग मी. (पक्का).
14. कल्लू हर प्रसाद लोकनाथ, गौरीशंकर पिता नन्दी बसोर.	60.00 वर्ग मी. (खपरैल)
योग . .	<u>543.545 वर्ग मी.</u>

- (2) सिंहपुर बैराज परियोजना के नाला डायवर्सन निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
- (3) भूमि के नक्शों (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नौगांव में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,  
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 6 जुलाई 2011

क्र. 1126-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में

वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी  
(ख) तहसील—रामपुर नैकिन  
(ग) ग्राम—ममदर  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.62 हेक्टर.

### झलवार सब माइनर नहर निर्माण हेतु

खसरा नं. अर्जित रकबा  
(हेक्टर में)

(1) (2)

### (अ) निजी भूमि का विवरण

1226	0.10
1248	0.22
1262	0.12
1263	0.02
1266/1	
1266/2	0.02
1266/3	
1266/4	
1269	0.20
1274	0.12
1275	0.15
1285	0.08
1301/1, 1301/2	0.09
1302	0.14
1304	0.08
1305	0.10
1341	0.02
1342	0.16
योग(अ) . .	<u>1.62</u>

### (ब) म.प्र. शासन की भूमि का विवरण

निरंक	निरंक
योग(ब) . .	—
महायोग (अ+ब) . .	<u>1.62</u>

प्रस्तावित निजी भूमि का रकबा	1.62 हेक्टर
प्रस्तावित शासकीय भूमि का रकबा	निरंक
प्रस्तावित भूमि का कुल रकबा	1.62 हेक्टर

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1128-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

#### अनुसूची

##### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी  
(ख) तहसील—चुरहट  
(ग) ग्राम—साड़ा (शिवराजपुर)  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.11 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
<b>(अ) निजी भूमि का विवरण</b>	
485/2	0.07
1762	0.04
योग(अ) . .	<u>0.11</u>
<b>(ब) शासकीय भूमि का विवरण निल</b>	
निरंक	निरंक
योग(ब) . .	<u>—</u>
महायोग (अ+ब) . .	<u>0.11</u>

प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा तथा रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है.

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का रकबा = 0.11 हेक्टर  
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का रकबा = निरंक  
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का रकबा = 0.11 हेक्टर

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1130-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

#### अनुसूची

##### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी  
(ख) तहसील—रामपुर नैकिन  
(ग) ग्राम—झलवार  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.43 हेक्टर.

##### झलवार सब माइनर नहर निर्माण हेतु

खसरा नं. अर्जित रकबा  
(हेक्टर में)

(1) (2)

##### (अ) निजी भूमि का विवरण

1/1, 1/2, 1/3	0.14
6/1, 6/2	0.07
7	0.07
8	0.02
9	0.02
13	0.07
14	0.08
15	0.05
16	0.06
52	0.08
53	0.08
61	0.02
62	0.04
63	0.03
64	0.03
65	0.02
66	0.02

(1)	(2)	(1)	(2)
67	0.02	777	0.13
87	0.02	778	0.01
88	0.05	779	0.14
89	0.05	780	0.05
91	0.06	781/1, 781/2, 781/3	0.13
92	0.01	788	0.03
94	0.02	789	0.03
95	0.07	790	0.03
96	0.07	791	0.05
126	0.08	794	0.02
134	0.06	795/1, 795/2	0.10
135	0.05	834/2	0.01
136	0.01	835	0.05
233	0.01	836/1	0.07
234	0.03	836/2	0.01
237	0.06	837	0.06
238	0.07	838	0.04
240	0.03	839/1, 839/2	0.06
244	0.07	860	0.01
256/1, 256/2, 256/3	0.07	862	0.06
256/4, 256/5		864	0.10
263	0.02	योग(अ) . . .	4.40
264/1, 264/2	0.06		
267	0.07		
269	0.04		
270	0.06		
272	0.01		
275	0.02		
276	0.07		
283	0.06		
283/973	0.08		
294	0.08		
295	0.03		
305/1, 305/2	0.06		
306	0.07		
310	0.05		
311	0.07		
312	0.10		
313	0.06		
314	0.12		
315	0.03		
316	0.08		
773	0.06		
776/1, 776/2, 776/3	0.10		

  

( ब ) म.प्र. शासन की भूमि का विवरण	
286	0.03
योग(ब) . . .	0.03
महायोग (अ+ब) . . .	4.43

  

प्रस्तावित निजी भूमि का रकबा	4.40 हेक्टर
प्रस्तावित शासकीय भूमि का रकबा	0.03 हेक्टर
प्रस्तावित भूमि का कुल रकबा =	4.43 हेक्टर

  

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**बी. बी. श्रीवास्तव**, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.



(1)	(2)	(1)	(2)
1239	0.840	1213/1	0.420
1240	0.210	1213/2	1.000
1242	1.100	1215/1	0.450
1243	1.640	1215/2	0.440
1244	1.890	1216/2	0.320
1285	0.240	1217/1	0.490
1286	0.470	1217/2	1.590
1287	0.440	1217/3	0.330
1295	0.780	1217/4	0.450
1296	0.590	1218/1	0.780
1300	0.640	1218/3	0.780
1055/1	1.090	1219/11	0.400
1055/2	0.200	1219/12	0.400
1056/1	0.450	1219/13	0.200
1056/2	0.120	1219/4	0.090
1072/1	1.510	1219/5	0.120
1072/2	1.050	1219/6	0.050
1072/3	1.510	1224/1	0.170
1187/1	0.740	1224/10	0.440
1187/2	0.710	1224/11	0.450
1187/3	1.000	1224/12	0.450
1187/4	2.000	1224/13	0.440
1187/6	0.800	1224/14	0.340
1187/7	2.460	1224/15	0.310
1187/8	0.800	1224/16	0.320
1192/1 में से	0.330	1224/17	0.330
1192/2	0.080	1224/2	0.170
1192/3	0.080	1224/3	0.180
1192/4	0.400	1224/4	0.170
1192/5	0.080	1224/5	0.260
1192/6	0.100	1224/6	0.270
1192/7	0.220	1224/7	0.260
1192/8	0.240	1224/8	0.260
1198/1	0.180	1224/9	0.120
1198/2	0.210	1227/1	1.250
1198/3	0.360	1227/2	1.240
1206/2	0.200	1227/3	1.240
1208/1	0.400	1232/1	0.570
1208/2	0.300	1232/2	0.120
1208/3	0.700	1232/3	0.970
1208/4	0.710	1232/4	0.380
1210/1	0.400	1232/5	0.340
1210/2	0.400	1232/6	0.190
1210/3	0.400	1232/7	0.400

(1)	(2)	(1)	(2)
1233/1	0.590	1258/13	1.040
1233/2	0.090	1258/15	1.220
1233/3	0.170	1258/6	1.100
1233/4	2.110	1258/7	1.270
1233/5	0.200	1258/9	1.000
1233/6	0.080	1259/2	0.350
1238/1	0.630	1259/3	0.360
1238/2	0.630	1289/1	0.800
1238/3	0.310	1289/2	0.640
1238/4	0.320	1289/3	0.780
1241/1	0.400	1289/4	1.000
1241/2	0.310	1298/1	0.390
1245/1	0.820	1298/2	0.240
1245/2	0.900	1301/1	1.130
1245/3	0.860	326/1 में से	3.670
1245/4	0.850	326/2	1.200
1246/3	2.410	329/1	0.250
1247/1	0.160	329/2	0.250
1247/10	0.230	332/1	0.170
1247/11	0.670	332/2	0.170
1247/12	0.660	332/3	0.200
1247/13	0.670	332/4	0.260
1247/2	0.160	334/1	0.480
1247/3	0.150	334/2	0.670
1247/4	0.140	334/3	0.160
1247/5	0.140	334/4	0.240
1247/6	0.140	336/1	0.250
1247/7	0.200	336/10	0.080
1247/8	0.200	336/2	0.180
1247/9	0.210	336/3	0.120
1250/3	0.910	336/4	0.090
1250/4	1.090	336/5	0.100
1250/5	0.500	336/6	0.110
1252/3	0.290	336/7	0.120
1253/1	0.380	336/8	0.070
1253/2	0.380	336/9	0.080
1253/3	0.380	339/1	0.130
1254/1	0.230	339/2	0.170
1255/1	0.340	354/2	1.300
1255/2	0.340	355/2	0.090
1255/3	0.340	356/1	1.150
1257/2	0.460	356/2	0.770
1258/1	1.000		
1258/12	1.980		

(1)	(2)
356/4	1.150
358/1	0.070
358/2	0.500
360/1	6.740
360/2	1.200
360/3	0.800
361/1	0.760
361/2	0.760
361/3	1.140
361/4	0.760
361/5	0.380
362/2	1.200
365/1	0.400
365/2	0.700
369/1	1.320
369/3	0.600
380/1	0.410
391/1	0.610
391/2	0.400
392/1	0.340
392/2	0.340
392/3	0.330
397/1	1.880
400/1	0.200
400/2	0.340
422/1	0.210
424/2	0.180
428/1	0.820
428/2	0.400
435/1	2.490
435/2	2.480
381 में से	2.790
387/1	0.340
371/1	1.350
योग . .	<u>198.620</u>

प्र. क्र. 02-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—कटनी  
(ख) तहसील—बरही  
(ग) ग्राम का नाम—बुजबुजा, प.ह.नं. 08/288  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—125.980 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2	1.110
4	0.500
5	2.170
9	0.820
12	0.270
13	1.200
14	0.830
16	0.360
19	0.350
21	0.780
22	0.250
23	0.130
24	0.450
25/1	0.340
25/2	0.340
26	0.590
27	1.600
28	0.100
29	0.220
30	3.670
32	0.810
35	0.910
36	1.340
37	1.410
38	0.240
39	0.250

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट के निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, विजयराघवगढ़/बरही के कार्यालय में देखा जा सकता है.



(1)	(2)	(1)	(2)
42	1.370	100	0.440
43	4.870	102	3.540
49	0.820	103/1	0.600
51/1	0.360	103/2	0.600
51/2	0.240	103/3	0.100
51/3	0.240	103/4	0.100
54/1	0.230	103/5	0.160
54/2	0.220	103/6	0.160
55	0.440	103/7	0.400
56	1.610	103/8	0.400
57	1.700	104	0.820
59	0.900	114	0.850
60	0.860	115	2.750
61	0.060	118	0.230
62	0.060	119	0.760
64	0.130	141	0.930
65	0.130	142	0.230
68	0.550	149/1	0.340
69/1	0.490	149/2	0.350
69/2	0.490	151	1.240
72	0.120	154	0.310
73	0.190	990	1.370
74	0.170	995	0.840
75	0.150	996	0.340
76	0.160	997	0.420
77	0.400	999	0.720
78	0.850	1000	0.470
79	0.600	1001	4.020
81	0.800	1003	0.200
82	0.820	1004	0.660
84	1.530	1009	1.200
86	1.370	1010	1.100
87/1	0.360	1011	0.650
87/2	0.360	1012	0.570
88/1	0.700	10/1	0.070
89	0.920	10/2	0.400
90	5.370	10/3	0.400
91	0.140	1002/1	0.290
93	0.330	1002/2	0.290
94	1.290	1007/1	1.000
99	4.130	1007/2	0.400

(1)	(2)	(1)	(2)
1007/3	0.290	6/2	0.400
1007/4	0.400	7/2	0.060
1008/1	1.170	8/2	1.120
1008/2	1.170	63/1	0.090
101/1	0.380	63/2	0.040
101/2	0.860	66/1	0.150
101/3	0.100	66/2	0.060
101/4	0.100	67/1 क	1.530
101/5	0.710	67/1 ख	0.400
101/6	0.570	67/2 क	0.150
101/7	0.340	67/2 ख	0.150
116/1	0.670	80/1	0.430
120/1	0.030	80/2	0.420
120/2	0.040	83/1	0.600
120/3	0.160	83/2	0.600
123/1	0.140	92/1	0.610
123/2	0.560	92/2	0.080
123/3	0.430	95/1	2.160
148/2	0.400	95/4	0.240
15/1	0.420	96/1	0.260
15/2	0.440	96/2	0.250
150/1	0.310	97/1	1.600
150/2	0.670	97/2	0.360
152/2	1.550	98/1	0.880
17/1	0.040	98/2	0.980
17/2	0.480	98/3	0.100
18/1	0.050	993/1	0.720
18/3	0.370	993/2	0.280
33/2	1.750	994/1	1.690
34/1	0.050	994/2	0.400
34/2	1.000	994/3	0.400
41/2	0.500	योग . .	<u>125.980</u>
41/3	0.500		
47/1	0.550	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट के निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.
48/1	0.820	(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, विजयराघवगढ़/बरही के कार्यालय में देखा जा सकता है.
52/1	0.200		
52/2	0.200		
53/1	0.430		
53/2	0.140		
58/2	0.300		
6/1	1.190		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**एम. सैलवेन्द्रन**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 12 जुलाई 2011

प्र. क्र. 04-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	राजनगर	सतना	4.550	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	एन.टी.पी.सी. द्वारा 6 X660 मेगावाट की विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—एन.टी.पी.सी. द्वारा 6 X660 मेगावाट की विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 05-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	राजनगर	बसारी	4.680	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	एन.टी.पी.सी. द्वारा 6 X660 मेगावाट की विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—एन.टी.पी.सी. द्वारा 6 X660 मेगावाट की विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 06-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	राजनगर	बरेठी	491.250	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	एन.टी.पी.सी. द्वारा 6 X660 मेगावाट की विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—एन.टी.पी.सी. द्वारा 6 X660 मेगावाट की विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 07-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	राजनगर	सांदनी	456.334	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	एन.टी.पी.सी. द्वारा 6 X660 मेगावाट की विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—एन.टी.पी.सी. द्वारा 6 X660 मेगावाट की विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश

क्र. 96-प्रवा.-भू-अर्जन-2011

कटनी, दिनांक 8 जुलाई 2011

### करारनामा

यह अनुबंध (करारनामा) आज दिनांक 8-7-2011 को मेसर्स वेलस्पन एनर्जी मध्यप्रदेश लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय वेलस्पन हाउस, ट्रेड वर्ल्ड, नौवां माला, कमला सिटी, सेनापति बापट मार्ग, लोवर परेल, (पश्चिम) मुम्बई 400013 महाराष्ट्र द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री जय शुक्ला, सहायक उपाध्यक्ष (जिन्हें आगे प्रथम पक्ष कहा गया है) एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर, कटनी, (जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है) जिला कटनी, मध्यप्रदेश द्वारा मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-12-31/2010/सात/2-ए, भोपाल, दिनांक 11-3-2011 के अनुकूल हस्ताक्षरित व निष्पादित किया गया।

### मेसर्स वेलस्पन एनर्जी मध्यप्रदेश लिमिटेड

वेलस्पन हाउस, ट्रेड वर्ल्ड, नौवां माला, कमला सिटी, सेनापति बापट मार्ग, लोवर परेल,  
(पश्चिम) मुम्बई 400013 महाराष्ट्र द्वारा सहायक उपाध्यक्ष श्री जय शुक्ला

प्रथम पक्ष

एवं

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश

द्वितीय पक्ष

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के उक्त आदेश द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार वेलस्पन एनर्जी मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा कटनी जिले में 660×3 मेगावाट थर्मल पावर परियोजना की स्थापना हेतु तहसील विजयराघवगढ़ एवं बरही जिला कटनी स्थित ग्राम डोकूरिया में 198.620 हे. एवं ग्राम बुजबुजा में 125.980 हे. कुल रकबा 324.600 हे. निजी भूमि के अर्जन हेतु प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के मध्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध (करारनामा) किया जा रहा है।

1. परियोजना के लिए उक्त निजी भूमि अर्जन हेतु भूमि के परिगणित राशि रुपये 209148290 मात्र कम्पनी द्वारा जमा की गई है। एवार्ड पारित होने के पूर्व एवार्ड की अन्तर की राशि कम्पनी द्वारा शासकीय कोष में जमा करनी होगी। एवार्ड की अन्तर की राशि जमा होने के उपरांत ही भूमि कम्पनी के नाम हस्तांतरण की जावेगी।
2. कम्पनी द्वारा मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के पत्र क्र. एफ-12-31/2010/सात/2ए, भोपाल, दिनांक 11-3-2011 के बिन्दू क्र. 3 के पालन में 10 प्रतिशत प्रशासकीय व्यय हेतु राशि 20914829 रुपये जमा की गई है। एवार्ड पारित होने पर अन्तर की शेष राशि कम्पनी द्वारा जमा करनी होगी।
3. कम्पनी मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के पत्र क्र. एफ-12-31/2010/सात/2ए, भोपाल, दिनांक 11-3-2011 द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन करने हेतु बाध्य होगी एवं उन शर्तों को इस अनुबंध का भाग माना जायेगा।
4. मध्यप्रदेश आदर्श पुनर्वास नीति 2002 एवं राष्ट्रीय पुनर्वास नीति 2007 के आधार पर शासन द्वारा निर्धारित पुनर्वास नीति का पालन कम्पनी द्वारा किया जावेगा एवं शासन द्वारा निर्धारित पुनर्वास नीति को इस अनुबंध का भाग माना जावेगा।
5. वेलस्पन एनर्जी मध्यप्रदेश लिमिटेड की परियोजना से 660×3 मेगावाट में से मध्यप्रदेश राज्य को बिजली प्रदेय के संबंध में ऊर्जा विभाग, मध्यप्रदेश शासन के साथ दिनांक 24-11-2009 को किए गये मेमो. आफ अंडरस्टैंडिंग के अनुसार कार्यवाही की जावेगी। उक्त अनुबंध इस करार का अभिन्न अंग होकर प्रपत्र "अ" के रूप में संलग्न है।
6. अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा।
7. भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है, वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा।

8. भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.
9. कम्पनी द्वारा जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहीत की जा रही है उन कृषकों के खाते से कम से कम एक सदस्य को कम्पनी में आदर्श पुनर्वास नीति 2002 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप नौकरी देने के लिए वचनबद्ध होगी.
10. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. 'धारा 44-ए भू-अर्जन अधिनियम के तहत' परन्तु कम्पनी को परियोजना के निर्माण/विकास के लिए पट्टे पर देने, ऋण प्राप्त करने अथवा ऋणदाता के पक्ष में भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण को बंधक रखने की पात्रता समुचित सरकार की पूर्व मंजूरी देने से करने के सिवाय, करने का अधिकार न होगा.
11. यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है, तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.
12. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जावेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौड़ खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.
13. कम्पनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधी विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा कि पर्यावरण, जल स्रोत या वायु प्रदूषण नहीं किया जावेगा.
14. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियों अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित एवं स्थानीय संस्थाओं जैसे नगर निगम तथा ग्रामीण निवेश विभाग, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होगा तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.
15. यदि कभी भी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बन्द कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जायेगी और कम्पनी को मुआवजा देय नहीं होगा.
16. भूमि या उसके किसी भाग या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा 'धारा 44 ए भू-अर्जन अधिनियम के तहत' समुचित सरकार की पूर्व मंजूरी देने से करने के सिवाय न तो किसी व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा और न ही पट्टे या किराए पर दिया जावेगा.
17. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.
18. शासन के प्रतिनिधियों या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन परिसर आदि के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.
19. मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू-अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई गई अन्य आवश्यक शर्तों का कम्पनी द्वारा पालन किया जावेगा.
20. परियोजना से विस्थापित परिवारों को शिक्षा एवं अन्य सुविधाओं हेतु एक ट्रस्ट का गठन कलेक्टर एवं वेलस्पन एनर्जी मध्यप्रदेश लिमिटेड के मध्य चर्चानुसार किया जावेगा.
21. पक्षकारों के मध्य उत्पन्न भू-अर्जन से संबंधित किसी भी विवाद का निराकरण जिले में स्थित न्यायालय में किया जावेगा.
22. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.

23. शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.
24. भारत सरकार द्वारा घोषित वर्ष 2007 अधिसूचित दिनांक 31-10-2007 के तहत राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति लागू होगी जिसके अधीन कम्पनी द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापना की कार्यवाही विधिवत की जाए. मध्यप्रदेश शासन द्वारा यदि केन्द्र शासन की नीति के अलावा मध्यप्रदेश के लिये अन्य कई शर्तें या निर्देश प्रसारित किये जाते हैं तो वे लागू किये जावेंगे.
25. कम्पनी द्वारा जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है, उनके खाते में कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिये पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.
26. संबंधित कम्पनी के लिये भू-अर्जन किये जाने संबंधित कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के अनुसार किया जाएगा.
27. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कम्पनी द्वारा मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जायेगी.
28. कम्पनी के संबंध में करारनामा, बचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिये कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.

यह करारनामा आज दिनांक 8-7-2011 को समक्ष गवाहान अपनी स्वतंत्र इंद्रियों से, बिना किसी जोर-दवाब के लिख दिया ताकि सनद् रहे व समय पर काम आवे.

हस्ता./-

( जय शुक्ला )

सहायक उपाध्यक्ष (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)  
वेलस्पन एनर्जी मध्यप्रदेश लिमिटेड

हस्ता./-

( एम. सेलवेन्द्रन )

कलेक्टर,  
जिला कटनी, मध्यप्रदेश.

गवाह :-

1. हस्ता./-

( धवल सोमण )

उप महाप्रबंधक, वेलस्पन एनर्जी लि.

2. हस्ता./-

( आर. आर. बाथम )

अपर कलेक्टर  
जिला कटनी (म.प्र.).